सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग,
लखनऊ – 226007
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in
nadwa@bsnl.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 15/-
वार्षिक	₹ 150/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डॉलर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
पोस्ट बॉक्स नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग
लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

मई, 2014 | वर्ष 13 | अंक 03

रहमान की रजा

सम्मान जो चाहो तो करो और का सम्मान
अपमान ना चाहो, न करो और का अपमान
सम्मान और अपमान से आगे की सुनो बात
हर क्षण रहे यह ध्यान कि राजी रहे रहमान
रहमान की रजा तो निर्भर है इसी पर
हर काम में लें बात, हम प्यारे नबी की मान
या रब नबीये पाक पर लाखों सलाम भेज
हर हाल में, हर आन में, तेरी रहे अमान

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
इस्लाम का वादा	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	7
हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में	हज़रत मौ0 अली मियाँ नदवी रह0	10
इख़्लास और उसके बरकात	मौ0 सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0	12
अरबी फारसी अलफाज़ को देवनागरी	इदारा	15
आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी	शमीम इकबाल खाँ	17
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	21
सबक आमोज किस्सा	अज्ञात कहानीकार	25
मस्जिदे नबवी का निर्माण	मौलाना मुहम्मद मुजीबुद्दीन कासिमी	27
पत्थर दिल	इदारा	36
संभावित मतभेदों में एक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	37
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

सूरः-ए-बक़रः

अनुवाद- और अगर तलाक़ दो उनको हाथ लगाने से पहले और तुम उनके महर ठहरा चुके थे तो लाजिम हुआ आधा उसका कि तुम मकर्रर कर चुके थे मगर यह कि माफ करदें औरतें, या माफ करे वह शख्स कि उसके इख़्तियार में है गिरह निकाह की यानी शौहर, और तुम मर्द दरगुज़र करो तो करीब है परहेज़गारी से, और न भुला दो एहसान करना आपस में बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो खूब देखता है(1)(237) खबरदार रहो सब नमाज़ों से और बीच वाली नमाज़ से और खड़े रहो अल्लाह के आगे अदब से(2)(238)।

तफ़्सीर (व्याख्या):-

1. अगर निकाह के समय महर नियुक्त हो चुका था और हाथ लगाने से पूर्व तलाक़ दे दी तो आधा महर देना लाज़िम (आवश्यक) है मगर औरत या मर्द कि जिसके इख़्तियार में है निकाह का कायम रखना और तोड़ना अपने हक से दरगुज़र करें तो बेहतर है औरत की तो दरगुज़र यह कि आधा भी माफ कर दे और मर्द की दरगुज़र यह कि जो महर नियुक्त हुआ था कुल हवाले कर दे या पूरा महर अदा कर चुका था तो आधा वापस न ले बल्कि सब महर छोड़ दे फिर फ़रमया कि मर्द दरगुज़र करे तो संयमता के जियादा उचित है क्योंकि अल्लाह ने उसको बड़ाई दी और इखतियार दिया निकाह बाकी रखने और तलाक़ देने का और सिर्फ निकाह से ही पूरा महर अनिवार्य हो जाता है, और बिना हाथ लगाये तलाक देकर शौहर आधे महर को अपने जिम्मे से टालता है यह तक़्वा के मुनासिब नहीं और बीवी की ओर से किसी प्रकार की कोताही नहीं हुई जो कुछ किया शौहर ने किया इन सबबों की वजह से शौहर को जियादा मुनासिब है कि दरगुज़र करे।

फ़ायदाः तलाक़ की महर और वती (संभोग) के लिहाज़ से चार सूरतें हो सकती हैं (1) न महर हो न संभोग (2) महर नियुक्त तो हो मगर संभोग की बारी न आये, इन दोनों सूरतों का हुक्म दोनों आयतों में मालूम हो चुका (3) महर नियुक्त हो और संभोग की बारी भी आये इसमें जो महर नियुक्त किया हो पूरा देना होगा, इस सूरत का जिक्र कुर्आन में दूसरे मौके पर आया है (4) महर नियुक्त न किया था और हाथ लगाने के बाद तलाक़ दी इसमें महरे मिस्ल पूरा देना पड़ेगा यानी जो उस औरत की क़ौम में रिवाज है और यही चारों सूरतें शौहर की मौत में निकलेंगी मगर मौत का हुक्म तलाक़ के हुक्म से जुदा है अगर महर नियुक्त न किया था और हाथ भी न लगाया था कि शौहर की मौत

शेष पृष्ठ.....26 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

क़ुबूलियत की घड़ी

—अमतुल्लाह तस्नीम

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जब भी उससे किसी मुसलमान बन्दे का वास्ता पड़ जाये और वह नमाज़ पढ़ता हो तो उस समय वह जो सवाल करेगा अल्लाह तआला उसको पूरा फरमायेगा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हाथ से उस घड़ी के थोड़े होने का इशारा किया। (बुख़ारी—मुस्लिम)

हजरत अबू बुर्दा अबी मूसा अशअरी रज़ि0 से रिवायत है कि मुझ से अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि0 ने कहा तुमने आपने बाप से जुमे की घड़ी की शान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान बयान करते सुना है मैंने कहा हाँ, मेरे बाप बयान करते थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इरशाद फरमाते सुना है कि वह घड़ी इमाम के खुत्बे से लेकर नमाज़ से फारिग़ होने तक है। (मुस्लिम)

जुमे के दिन दुरूद की जियादती–

हज़रत औस इब्ने औस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया अफजल तरीन दिन जुमे का दिन है तुम उस दिन मुझ पर कसरत (खूब जियादा) से दुरूद भेजा करो, तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किये जाते हैं।

(अबू दाऊद)

सजदये शुक्र अदा करने का बयान–

हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ि0 से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मक्के से निकले और मदीनये तैयिबा जाने का इरादा था जब हम अज़वरा (मक्का मुकर्रमा के करीब एक जगह का नाम है) के करीब पहुँचे तो आप सवारी से उतर पड़े और अपने दोनों हाथ उठा कर थोड़ी देर तक अल्लाह तआला से दुआ फरमाते रहे फिर आप उठ खड़े हुए और दोनों हाथ उठा कर देर तक दुआ करते रहे, फिर दोबारा आप सजदे में गिर पड़े, इस प्रकार तीन बार किया, फिर फरमाया मैंने अपने परवर्दिगार से अपनी उम्मत के बारे में सवाल किया और शिफाअ़त की, अल्लाह तआला ने मेरी दुआ कुबूल फरमाई और मेरे रबने मेरी एक तिहाई उम्मत के हक में अता फरमाया फिर सजदे में गिर गये, फिर सर उठा कर दुआ की तो मेरे रब ने तिहाई उम्मत के हक में फिर अता फरमाया, फिर मैंने शुक्र का सजदा अदा किया, फिर मैंने सर उठाया और अपनी उम्मत के लिए दुआ की तो मेरे रब ने बाकी तिहाई भी अता फरमाई, उस पर मैंने फिर अपने रब का शुक्र अदा किया।

(अबू दाऊद)

❖❖❖

इस्लाम का वादा (वअ़दा)

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों के लिए सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर जो पहला वअ़ज़ (उपदेश) कहा उसमें पहले तो यह बताया कि मैं पहाड़ी पर हूँ तुम लोग मेरे सामने हो मैं पहाड़ी की दूसरी ओर जो कुछ देख रहा हूँ वह तुम लोग नहीं देख रहे हो अर्थात मैं अल्लाह का नबी हूँ मैं आने वाली जिन्दगी के अज़ाब (प्रकोप) को देख रहा हूँ (जो सत्य न मानने वालों के लिए तैयार है) तुम उसे नहीं देख रहे हो "फ़–इन्नी नज़ीरूल्लकुम बैंन यदै अ़ज़ाबिन शदीद" पस मैं तुम को (अपनी बात के इन्कार पर) उस अज़ाब से डराने वाला हूँ।

इस पहले वअ़ज़ से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम इस जीवन के पश्चात आने वाले शाश्वत जीवन में अल्लाह के प्रकोप से बचाने का वादा करता है, जो इस्लाम स्वीकार करेगा वह उस अज़ाब से बच जाएगा और जन्नत का पुरस्कार पाएगा।

अल्लाह तआला ने कुर्आने मजीद में फरमाया "जिसने भले काम किये चाहे वह मर्द हो या औरत अलबत्ता वह ईमान वाला हो तो हम उसको संसार में भला जीवन देंगे और मरने के पश्चात शाश्वत जीवन में उसका इस संसार के भले कामों का उनसे अच्छा बदला देंगे ।

(अन्नहल:97)

इस आयत में इस्लाम का इस्लाम लाने वालों से यह वादा है कि उनको इस दुन्या में अच्छी जिन्दगी मिलेगी, लेकिन भरपूर बदला उसके कर्मों का आखिरत की ज़िन्दगी में, अल्लाह की रज़ा (प्रसन्नता) और जन्नत के रूप में मिलेगा।

अच्छी ज़िन्दगी, अरबी शब्द "हयातन तय्यिबा" का अर्थ है। जिसे दुख रहित जीवन भी कह सकते हैं। वैसे अच्छी ज़िन्दगी से यह समझा जाता है कि खाना पीना अच्छा हो रहने का मकान प्रयाप्त हो, अच्छी बीवी हो अच्छी सन्तान हो, सब स्वस्थ हों, खाने कमाने का अच्छा साधन हो आदि, परन्तु अच्छी ज़िन्दगी "भले जीवन" के रूप से महत्व पूर्ण बात यह है कि मन शांति मय हो, इसके लिए हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके साथियों के जीवन को मापदण्ड बनाना होगा। इसलिए कि इस जीवन में कभी सन्तान के मरने का दुख आता है, कभी कारोबार तथा खेत बाग़ में हानि उठाना पड़ती है कभी बीमारी आजारी भी आती है, इन आपत्तियों से भला जीवन विकृत नहीं होता वह भला ही रहता है, ईमान वालों को इन सब दशाओं में भी शान्ति प्राप्त होती है और वह जब किसी आपत्ति से दोचार होते हैं तो कह उठते हैं, हम तो अल्लाह ही के हैं और उसी की ओर जाने वाले

हैं, ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह की दया रहती है और वही लोग सत्य मार्ग पाए हुए हैं।

(अलबक़रहः 156–157)

अतः ज्ञात हुआ, कि भला जीवन वह भी है जिसमें अच्छा खाना, अच्छा पहन्ना, अच्छा रहना अच्छी बीवी (और नारी को अच्छा पति) अच्छी सन्तान, आय के अच्छे साधन तथा परिवार को अच्छा स्वास्थ मिले परन्तु वह जीवन भी बुरा न कहा जाएगा जो ईमान के साथ सांसारिक कष्टों से परखा जाए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को किस प्रकार परखा गया, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर कई कई दिन चूल्हा न जलता था, हज़रत सुमय्या, हज़रत बिलाल, हज़रत खब्बाब रज़ि0 को कैसे कैसे परखा गया इन सब की जिन्दगियाँ अच्छी थीं, इन सब के सांसारिक जीवन भी इम्तिहानी जीवन तो कहलाएंगे परन्तु बुरे न कहलाएंगे अतः यदि हम सबको इस्लाम पर जमना प्रदान हो गया तो कुछ इम्तिहान आजाए तो निराश न हो कर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए और अल्लाह से इस्लाम पर जमे रहने की दुआ मांगते रहना चाहिए।

इसी प्रकार सूर–ए– हा–मीम सज्दा की आयत 30–31 में इस प्रकार आया है–

"निःसन्देह जिन लोगों ने कहा मेरा रब अल्लाह है (अर्थात इस्लाम स्वीकार कर लिया) फिर उस पर (जीवन भर) जमे रहे तो (मौत के समय या मौत के पश्चात) उनके पास फरिश्ते आएंगे और कहेंगे कि (अब तुम) न डरो न दुखी हो, और शुभ सूचना लो उस जन्नत (में प्रवेश पाने की) का जिसका तुम से वादा था, वह फरिश्ते कहेंगे हम दुन्या में भी तुम्हारे मित्र रहे हैं और आखिरत के जीवन में भी तुम्हारे मित्र हैं, और अब (अल्लाह की ओर से) तुम्हारे लिए तुम्हारी हर चाहत पूरी होगी और तुम जो मांगोगे पाओगे।"

इन आयतों में भी यही बताया गया कि इस्लाम लाने वालों को इस संसार में शांतिमय सुख चैन वाला जीवन मिलेगा परन्तु आखिरत का जीवन बड़ा ही सुखमय होगा ऐसा सुखमय कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते।

हमारे कुछ भाई जो सुर–ए–नूर की आयत नं0 55 के हवाले से यह बताने का प्रयास करते हैं कि ईमान और आमाले सालिहा (भले काम करने) वालों से जमीन का खलीफा बनाने का वादा है अगर हम ईमान में शुद्ध हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिखाए भले काम अपनाएं तो हम आज भी सत्ता में आ सकते हैं, हम कहते हैं कि हम को सूर–ए–नूर की आयत को खास मानना पड़ेगा वह वादा खुलफाए राशिदीन को पूरा–पूरा मिला खुलफाए राशिदीन के पश्चात न जाने कितने ऐसे मुसलमान हुए हैं जो ईमान व आमाले सालिहा में अपने हल्के के साथ खरे थे परन्तु वह खिलाफते अरज़ी (सांसारिक सत्ता) से वंचित रहे।

शेष पृष्ठ.....20 पर

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

इस्लाम की तरफ उमूमी झुकाव—

मक्के की फतह के बाद अरबों का इस्लाम की तरफ उमूमी झुकाव हुआ, बड़े—बड़े वफूद और जमाअतें आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास हाज़िर होतीं और हलकऐ बगोश इस्लाम हो जातीं, इसी मौक़े के लिए अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में इरशाद फरमाया—

"जब अल्लाह की मदद आ पहुँची और फतह हासिल हो गई और तुमने देख लिया कि लोग ग़ोल के ग़ोल अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं" (सूर—ए—नसरः 1—2)

फतह मक्का का मौक़ा अजीब मौक़ा था कि तकरीबन 20 साल बाद मुसलसल दुश्मनी और जुल्म व जियादती करने वालों पर काबू मिला है और बदला लेने से कोई चीज़ रोकने वाली नहीं थी फिर भी महज़ शराफते नफ़्स की बिना पर बद्तरीन दुश्मनों को भी मुआफ कर दिया गया और बदला लेने की पोज़िशन में होते हुए भी किसी से बदला नहीं लिया बल्कि उस रोज़ मॉफी का दायरा और जियादा फैला दिया गया। रूऐ ज़मीन पर आपके बदतरीन दुश्मन अबू जहल के लड़के इकरमा, महबूब चचा हज़रत हमज़ा के कातिल जुबैर बिन मुतइम के वहशी गुलाम हब्बार बिन असवद और अब्दुल्लाह बिन सअद बिन अबी सरह जैसे बदतरीन दुश्मनों को अपने दामने अफवो दरगुज़र में पनाह दी[1]।

आपका रवय्या इस कदर रवादाराना और करीमाना था कि बाज़ ऐसे अफ़राद को भी मुआफ कर दिया जिन्होंने अपनी प्रभावशील शायरी के ज़रिये आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खिलाफ बहुत ही अपमान जनक और हानिकारक प्रोपेगन्डे को अपना वतीरा बना रखा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नुकसान पहुँचा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको नाक़ाबिले मुआफी करार देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन वह अचानक आपके सामने मुआफी तलब करते हुए आ गये तो आपने उन्हें मुआफ कर दिया। आपकी यह उदारतापूर्ण नीति आपको निहायत रहमदिली और आलाज़रफी (उच्च नैतिकता) की अलामत बना।

ग़ज़वे हुनैन, औतास और ताएफ—

क़बील—ए—हवाज़िन जो मक्का और ताएफ के दरमियान रहता था और क़बील—ए—सक़ीफ़ जो ताएफ में रहता था और यह दोनों क़बीले उस इलाक़े के बा इज़्ज़त कबीले थे और अपनी ताक़त व कूव्वत में कुरैश ही के सतह के समझे जाते थे और उनके कुरैश से क़रीबी संबंध थे। मक्का जैसा मरकजी और अहम शहर जो उनके पड़ोस का शहर था मुसलमानों से मुक़ाबला करने

1. ज़ादुल मआद 3/411

के लिए फौजी तैयारी करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को जब इसकी इत्तिला मिली तो आपने मुनासिब समझा की उनके इरादों को अनदेखा न करें और जब कि मुसलमानों की फौजी जमीअत फौजी तैयारी की हालत में है उनका सामना कर लिया जाये। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मक्के से निकल कर कबीले हवाज़िन के इलाके वादिए हुनैन में तशरीफ ले गए यह मक्का से 30–35 मील के फासले पर उत्तरी जानिब वाक़े है। कबीले हवाज़िन ने एक तरकीब यह की कि अपनी फौज के साथ अपनी बीवियों और उनके माल व मता और जानवरों को भी मैदाने जंग में साथ लाए। ताकि उनके दिल मैदाने जंग से ही वाबस्ता रहें। अपने अपने घरों की तरफ उनकी तवज्जेह न रहे।

अरब में बाज़ कबीलों को एक बड़े और सरसब्ज़ दरख़्त से जिसका नाम "ज़ाते अनवात" था, खास अकीदत थी, वह उससे हथियार लटकाते थे, कुर्बानियाँ करते थे, और एक दिन उसके नीचे क़ियाम करते थे, उस लश्कर में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो अभी–अभी ताज़ा ताज़ा जाहिली ज़िन्दगी छोड़ इस्लाम में दाखिल हुए थे, चुनांचे जब दौरान सफर में यह दरख्त उन्हें नज़र आया तो जाहिलीयत की उन क़दीम रस्मों और बातों को याद करके और ज़िआरतगाहों को देख कर उनके मुँह में पानी भर आया और बेसाख़ता (निःसंकोच) कहने लगे "या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जैसा उन लोगों का ज़ातेअनवात था वैसा ही एक हमारे लिए भी मरकज़े अक़ीदत तजवीज़ फ़रमा दीजिए" रसूलुल्लाह सल्ल–ल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह सुनकर फ़रमाया "अल्लाहु अकबर" उसकी क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है, तुमने मुझसे ऐसी फ़रमाइश की है जैसे मूसा की क़ौम (यहूद) ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी और कहा था "आप हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जैसा उनके बहुत से माबूद हैं, उन्होंने जवाब दिया कि तुम बड़ी जिहालत की बातें करने वाली क़ौम हो" (सूर–ए–आराफ़:138)

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "बेशक तुम अपनी पिछली क़ौमों की एक एक बात और तरीके की पैरवी करोगे[1]" (सीरते इब्ने हिशाम 2/442) बहरहाल दोनों फ़ौजों की आमने सामने सफ़बन्दी हुई और जंग हुई, उस जंग में कबीले हवाज़िन के साथ कबीले सक़ीफ और कबाएल नस्र व जशम और सअद बिन बकर भी शरीक थे, मालिक बिन औफ़ चार हज़ार अफराद पर आधारित फ़ौज ले कर वादिऐ हुनैन पहुँचे थे, इस्लामी लश्कर की मजमूई तादाद बारह हज़ार थी जिसमें नवमुस्लिम भी शामिल थे और वह लोग जिनसे मुआहिदा था वह भी शरीक थे, फौज की तादाद जो काफ़ी मालूम होती थी, उसकी वजह से मुसलमानों को इत्मीनान सा

1. सीरत इब्ने हिशाम 2/442

हो गया था कि हमारी तादाद ऐसी है कि शिकस्त का खतरा नहीं लेकिन मुसलमानों का यही इत्मीनान उनके लिए हानिकारक साबित हुआ, क्योंकि यह बात अल्लाह तआला को पसन्द नहीं आई कि ईमान वालों की यह चुनी हुई जमाअत अपने किसी भी मसअले में अपने को कुछ समझे। उसको तो सिखाया गया था, कि हर बात अल्लाह तआला के इख़्तियार में है, चाहे मामला अपने इख़्तियार ही का मालूम होता हो, उनका भरोसा हर हाल में अपने खुदा पर होना चाहिए। सामान व इन्तिज़ाम को असल नहीं समझना चाहिए।

लिहाज़ा अल्लाह तआला ने थोड़ी देर के लिए अपनी मदद हटा ली, उधर कुफ़्फ़ार ने पहाड़ों के पीछे बड़े तीर अंदाज़ बिठा दिये थे वह मुसलमानों पर अचानक तीर बरसाने लगे, मुसलमानों को पहले से इसका अंदाज़ा न था, इस अचानक हमले से घबरा गये, चुनांचे इस दौरान उनको कठिन मरहलों से गुज़रना पड़ा, दुश्मनों का यह हमला बहुत सख़्त साबित हुआ, अभी जंग की शुरुआत ही थी कि मुसलमानों के क़दम उखड़ गये, लेकिन जब मुसलमानों को जिस क़दर तालीम व तम्बीह अल्लाह तआला को मंजूर थी वह हो गई और तादाद की जियादती पर खुश होने की वजह से अल्लाह ने उनको शिकस्त की कड़वाहट का मज़ा भी चखा दिया कि वह परवर्दिगार की मदद को असली ज़रिया महसूस न करने से किस क़दर ज़हमत में पड़े, और इसलिए कि उनका ईमान मज़बूत हो और जब फतह हुआ करे तो उनके अन्दर इतराहट और हजीमत (पराजय) हो तो किसी किस्म की मायूसी पैदा न हो और वह अव्वलन खुदा ही को मददगार समझें। लिहाज़ा यह सबक़ मिल जाने के फौरन बाद अल्लाह तआला ने उनको गलबे की पोज़ीशन में पहुँचा दिया और आखिरकार मुसलमानों को ही फतह नसीब हुई। यह मारिका ग़ज़व–ए–हुनैन कहलाता है। इसका तज़किरा कुर्आन मजीद में इस तरह आया है "ख़ुदा ने बहुत मौक़ों पर तुम को मदद दी है और जंग हुनैन के दिन जब कि तुमको अपनी जमाअत की तादाद पर यक़ीन हो गया था वह तुम्हारे काम न आई और ज़मीन बावजूद अपने फैलाव के तुम पर तंग हो गई और फ़िर तुम पीठ फ़ेर कर भागने लगे और फ़िर खुदा ने अपने पैग़म्बर और मोमिनों पर तसकीन नाज़िल फ़रमाई और तुम्हारी मदद को लश्कर जो तुम्हें नज़र नहीं आये थे, आसमानों से उतारे और काफ़िरों को अज़ाब दिया और कुफ़्र करने वालों की यही सज़ा है"

(सूर–ए–तौबा:25–26)

इस जंग में कामयाबी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ताएफ के क़िले के मुहासिरे का फ़ैसला किया जहां कबील–ए–हवाज़िन का सरदार मालिक बिन औफ जिसने "हुनैन" में दुश्मन की फ़ौजों की लीडरी की थी शिकस्त खा कर अपने साथियों के साथ

शेष पृष्ठ..... 39 पर

हिन्दुस्तानी मुसलमान एक दृष्टि में

पैदाइश से बालिग़ होने तक आधारभूत इस्लामी आस्थाएं

—हज़रत मौलाना अली मियाँ नदवी रह0

मुसलमानों का रहन-सहन तथा उसके घर की रूप रेखा-

मुसलमानों के रहन–सहन की विशिष्ट रूपरेखा, और उसमें भारतीय तथा इस्लामी सामन्जस्य

हिन्दुस्तानी मुसलमानों का रहन–सहन और उनके घर की रूप रेखा अपने देश–वासियो की सामाजिक परिस्थितियों तथा उनके घर के रंग ढंग में कोई अधिक असमानता नहीं पाई जाती। इसमें विभिन्न क्षेत्रों एवं राज्यों के मुसलमानों में वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, ऋतु तथा अर्थव्यवस्था के अनुसार कुछ विविधता भी पाई जाती है, और ऐसा होना स्वाभाविक है। फिर भी मुसलमानों के रहन–सहन का एक विशिष्ट स्वरूप है, और उसके कुछ तत्व एवं अंग ऐसे समान्वित हैं जिनसे उनकी सामाजिक व्यवस्था ने किसी हद तक एक विशिष्ट रूप धारण कर लिया है। इस बारे में इस सभ्यता के चिन्ह जो ईरान, तुर्किस्तान तथा अफ़ग़ानिस्तान के मार्ग से यहां आए थे और जिसका प्रतिनिधित्व, दीर्घकाल तक तुर्क, अफ़ग़ान और मुग़ल सम्राट एवं शिष्ट वर्ग के लोग, करते रहे तथा हिज़ाज़ी[1] सभ्यता की रूप–रेखा जो सदैव मुसलमानों की दृष्टि में एक आदर्श सभ्यता के रूप में विद्यमान रही। इसी के साथ इस्लामी शिक्षा का प्रभाव हिन्दुस्तानी रहन–सहन तथा परम्पराओं के साथ ऐसा समान्वित हो गया कि उन्होंने अपना एक अलग रूप धारण कर लिया और वह एक ऐसा मिश्रण बन गया जिसको न अब विशुद्ध इस्लामी सभ्यता एवं समाज कहना सही होगा और न ईरानी अथवा तुर्की जीवन पद्धति। इसको वास्तविक अर्थ में हिन्दुस्तानी इस्लामी सभ्यता की संज्ञा प्रदान की जा सकती है।

1. इस समय के सऊदी अरब का एक प्रान्त हिजाज है जिसमें पवित्र स्थान मक्का मुकर्रमा तथा मदीना मुनव्वरा हैं।

वैधानिक तथा अवैधानिक पर्दे का प्रचलन–

मुसलमान घरों में (विशेष कर खाते–पीते घरानों में और जो अपने को अशराफ़ कहते या समझते हैं) पर्दे का अब भी प्रचलन है। यहां इसका विवाद नहीं वह कितना धार्मिक है और कितना रिवाज़ी, और वह किन उद्देश्यों पर आधारित, किस सीमा तक आवश्यक और कहाँ तक व्यावहारिक है। पहले इसमें बहुत कट्टरता एवं संकीर्णता थी। अब शिक्षा के प्रभाव एवं सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण वश इसमें बहुत ढीलापन आ गया है, और अनेक समुन्नत एवं प्रगतिशील घरानों से वह बिल्कुल छुट्टी पा गया है। पहले मुसलमान महिलायें तथा शरीफ़ बीबियां डोली, पीनस या पालकी के बिना नहीं निकलती थीं। बग्घियों और पीनसों में भी चिलमने पड़ी होती थीं.....अब ताँगों,

रिक्शों तथा मोटरों ने इन "सावधानियों" को समाप्त कर दिया है और स्कूलों तथा कालेजों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं ने तो इसमें बड़ी हद तक व्यापकता उत्पन्न कर दी है लेकिन बाहर के इस पर्दे की अपेक्षा घरों में विशुद्ध धार्मिक पर्दे का चलन ही नहीं, और हिन्दुस्तान में मुसलमानों ने इस बारे में बड़ी व्यापकता एवं "उदारता" से काम लिया है और उन रिश्तेदारों से पर्दा करने की आवश्यकता नहीं समझी जिनसे पर्दा करने के स्पष्ट निर्देश तथा बहुत बल दिया है और जिनसे पर्दा न होने की दशा एवं निःसंकोचता में अनेक नैतिक विकारों का भय रहता है।

लड़की की मंगनी के पश्चात सुसराली महिलाओं से पर्दा करने की हिन्दुस्तानी रस्म–

लड़की की मंगनी हो जाने के बाद सुसराल वालों से, यहाँ तक कि उस घर की महिलाओं से पर्दा करने की रस्म भी खालिस हिन्दुस्तानी है, जिनका दूसरे देशों में संकेत नहीं पाया जाता अर्थात् इस प्रथा का दूसरे देशों में कोई स्थान नहीं। ऐसी दशा में पुराने खानदानों में लड़कियाँ अपनी मौसियों, फूफियों, ममानियों तथा चाचियों से भी पर्दा करने लगती हैं, जिनके लड़के से उनकी शादी तय हो गई है, अथवा उनके यहाँ बातचीत का सिलसिला जारी है।

निकट सम्बन्धियों, अतिथियों तथा पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य–

मुसलमानों के घरो में विशेषकर पुराने खानदानों और किसी हद तक खाते–पीते वर्गों में अतिथि–सत्कार की परम्परा सदैव से प्रचलित रही है और प्रायः इन खानदानों में एक कमाने वाला और दस खाने वाले होते हैं। ज़मींदारी उन्मूलन, जागीरों तथा जायदादों की समाप्ति के बाद और मंहगाई के इस युग में इस रिवाज में बड़ी हद तक कमी आ गई है। लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व बाकी है। आतिथ्य एवं अतिथि सत्कार के प्रति इस्लामी शिक्षानुसार जो महत्व प्रदान किया गया है तथा पड़ोसियों के प्रति जो उत्तरदायित्व बताये गये हैं। महापुरुषों तथा धार्मिक महानुभावों का इस बारे में जो कर्तव्य बताया गया है और अरबी, अफ़ग़ानी सभ्यता के प्रभाव में जो कर्तवय बताया गया है और अरबी, अफ़गानी सभ्यता के प्रभाव से अब भी मुसलमान इस शुभ कार्य को एक धार्मिक एवं नैतिक मान प्रदान करते हैं और मेहमान का आना अपना सौभाग्य समझते हैं। बहुधा पड़ोसियों को उपहार भेजने तथा उनसे अच्छे सम्बन्ध बनाऐ रखने का भी रिवाज है।

❖❖❖

मग़्फ़िरत की दुआ

"सच्चा राही" के एक सच्चे हमदर्द जनाब कलीमुद्दीन साहब पोस्ट मास्टर की वालिदा का इन्तिक़ाल हो गया, "इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तमाम पाठकों से मरहूमा की मग़्फ़िरत के लिए दुआ की दरख़्वास्त है। ❑❑

इख़्लास और उसके बरकात व फायदे

प्रस्तुतिः जमाल अहमद नदवी सुलतानपुरी —मौ0 सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी रह0

इस्लाही तअल्लुक़ात का उद्देश्य-

इसी प्रकार यह तर्बियती, इस्लाही तअल्लुक़ात का मसअला है, इसमें भी अल्लाह तआला ने इसका हुक्म दिया है कि इख़्लास से काम लिया जाय, यहाँ भी कोई स्वार्थ न हो कि लोग हम को बड़ा समझें, हदया दें, तोहफा दें, हमारे पीछे चलें, हमारा हाथ चूमें और हमारा हल्का (मंडली) बड़ा हो जाये, मानने वाले बढ़ जायें इसीलिए हदीस शरीफ में आता है कि आखिरी दौर में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीन को वास्ता बनायेंगे दुन्या कमाने के लिये, दावत का काम भी करेंगे लेकिन उसके वास्ते से उनका यह मक्सद होगा कि पैसा मिल जाये, पद मिल जाये, प्रसिद्धि मिल जाये, और लोगों को दिखाने के लिए ऐसे आचरण इस्तेमाल करेंगे कि उससे लोग उनको बड़ा बुजुर्ग समझें और बड़े मुतावजे बनेंगे, दिखाने के लिए तकश्शुफ (रूखा सूखा खाना, मोटा झोटा पहनना) का इजहार भी करेंगे, ऐसा लिबास चुनेंगे कि लोग उनको समझेंगे कि बहुत बुजुर्ग हैं, और बातें इतनी अच्छी और मीठी करेंगे कि मधु भी उसके आगे बेकार है, हालांकि दिल भेड़ियों की तरह होंगे, मक्सद क्या होगा? पैसा कमाना, सामने जो आ रहा है उससे बहुत बुजुर्गी के साथ, बहुत तवाजो (सत्कार) के साथ, मीठी और चिकनी चुपड़ी खुशामद की जाये, और फिर उसकी जेब से पैसे निकलवायेंगे, तो अल्लाह तआला फरमाता है अनुवादः यह हमसे धोके में पड़ रहे हैं, या इतनी साहस इनकी बढ़ गयी है कि हम पर साहस दिखा रहे हैं, अल्लाह तआला अपनी कसम खा कर कहता है कि उनको ऐसे फितने में मुबतला कर देंगे कि उनमें से बहुत जियादा जो सब्र और बर्दाश्त करने की सलाहियत रखने वाला आदमी भी होगा वह भी हैरान हो जायेगा।

खुराफात व बिदआत के मराकिज़ फितनों की आमाजगाह-

आप देख लीजिये इस प्रकार के जितने ढ़ोंगी किस्म के सूफी हैं उनके यहाँ अगर आप जा कर मालूम करें तो सबको फितने में ग्रस्त पायेंगे, हिन्दुस्तान की जियादा तर कब्रों वाले उनकी खानकाहों में जायेंगे तो मालूम होगा कि हर कब्र पर लड़ाई हो रही है, आपस में मन मुटाव है मुकदमें बाज़ियां हैं और यह फितना आपस में भाईयों में हो रहा है, और फितना उस समय और बढ़ जाता है जब घर के अंदर हो, बाहर का फितना तो आसान है आदमी बर्दाशत कर लेगा, कोई हमारा दुशमन है वह देहली में बैठा है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एक आदमी है जिससे सारी हमारी मुकदमे बाजी चल रही है, हमारे घर का भाई है, तो

यह फितना बढ़ा हुआ है, सारी कब्रों पर आप मालूम कर लीजिए, जितनी कब्रें हैं जहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है, और जहां शिर्क व बिदअत और खुराफात के डेरे हैं वहां फितनों के भी डेरे हैं, जो यह फरमाया गया गलत नहीं, जाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तआला बड़े जलाल के साथ फरमाता है कि मैं अपनी क़सम खा कर कहता हूँ कि उनको फितनों में मुबतला करके रहूँगा, और वह फितनों में मुबतला हैं, और जब बात करेंगे तो ऐसी मीठी कि मालूम होगा कि उससे जियादा मिठास कहीं पाई नहीं जाती, आप बात करके देखें ऐसे लोगों से, और इसी में बेचारे सीधे सादे आम लोग समझते कुछ नहीं और जाके अकीदत में सर झुका देते हैं।

अल्लाह तआला इसलिए फरमा रहा है कि यह सब बातें सही नहीं हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो कार्य करेगा तो उससे फायदा होगा, अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं किया तो कोई फायदा नहीं।

मुआमला दिल का है-

असल मुआमला दिल का है, दिल कहते हैं कि उलटता पलटता रहे, यह भागता रहता है, तो दिल को समेटने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जब कोई अपने दिल को काबू में कर लेता है, तो यह चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है, मगर दिल पारे के प्रकार है जिस प्रकार पारे को पकड़ना मुश्किल है, थर्मामीटर में पारा होता है, अगर थर्मामीटर टूट गया और पारा गिर गया तो उसको उठाना बहुत मुश्किल है, हाथ में नहीं आयेगा, इधर उधर भाग जायेगा, ऐसे ही दिल है, कभी इधर लग रहा है, कभी उधर लग रहा है, कभी गलत चीज़ की ओर कभी अच्छी चीज की ओर दिल भागता रहता है, लेकिन यही पारा जब आप इसको उठा कर थर्मामीटर में रख दें, तो उससे दूसरों की हरारत व शरारत का पता चल जाता है, आपने बदन में लगाया बता देगा कि कितना बुखार है? फिर उसके अंदर ताकत पैदा हो जाती है, ऐसे ही मुआमला दिल का भी है, जब दिल को आदमी काबू में कर लेता है कि वह बिल्कुल सही चले, यह अल्लाह की तौफीक़ से होता है, तो फिर दिल जो कहता है वह सही ही कहता है, दिल से बढ़ कर कोई दोस्त भी नहीं और दिल से बढ़ कर कोई दुशमन भी नहीं है, जब तक काबू में नहीं रहता तो अच्छे अच्छे के हाथ नहीं लगता, और जब काबू में आ जाता है तो उसको तो ठीक करता ही करता है, दूसरों को भी पहचान लेता है कि कितने पानी में है।

सारी चीज़ें दिल ही से वाबस्ता हैं, इसीलिए नियत का मुआमला भी दिल ही से है, जब दिल दुरुस्त हो जायेगा तो नियत दुरुस्त हो जायेगी, और हर चीज़ दुरुस्त हो जायेगी, हमारे जो बड़े हैं उनकी मेहनत दिल पर होती है ताकि दिल इधर उधर न हो।

एक वाक्य-

एक बुजुर्ग का एक बहुत मशहूर वाकिया जिसे हजरत मौलाना अलीमियां नदवी रह0 ने कई बार सुनाया, एक बड़े कारोबारी थे, अपने आफिस में बैठे हुए थे, इतने में खबर आई कि जहाज़ से जो सामान आ रहा था सब डूब गया, तो उन्होंने सर झुकाया और कहा, "अलहम्दुलिल्लाह" और अपने काम में लग गये, फिर एक दो दिन बाद खबर आई कि "नहीं जहाज़ बच गया है, और सामान उतर गया है, फिर उन्होंने सर झुकाया और कहा, "अलहम्दुलिल्लाह" खैर बात आई गई हो गयी, लेकिन कुछ लोग जो करीबी होते हैं वह पूछ लेते हैं कि समझ में नहीं आया कि जब जहाज़ डूबा तो "अलहम्दु लिल्लाह" निकला, और जब बच गया तो भी "अलहम्दु लिल्लाह"? तो उन्होंने कहा कि जहाज़ का डूबना या बच जाना अस्ल नहीं है, लेकिन दिल की कशती अगर समुद्र में डूब जाये तो यह मुश्किल की बात है, जब मुझे मालूम हुआ कि जहाज़ डूब गया तो मैंने दिल को देखा कि उस पर असर तो नहीं पड़ा, तो देखा कि कोई असर नहीं है, तो मैंने कहा कि "अलहम्दु लिल्लाह" दिल की कशती सलामत है, यह नहीं डूबी, सामान डूब गया डूब गया, सामान आता जाता रहता है, और जब खबर आई कि बच गया तो फिर मैंने दिल को देखा कि इतरा तो नहीं रहा है कि मैं बुजुर्ग हूँ मेरी वजह से बच गया, तो मालूम हुआ कि नहीं ऐसी कोई बात दिल में नहीं है, तो मैंने कहा "अलहम्दुलिल्लाह" डूबना दो प्रकार का है, जहाज़ डूबा दिल डूबा, जहाज़ निकला दिल डूबा, दिल दोनों से बच गया तो उन्होंने कहा "अलहम्दुलिल्लाह"।

दिल को दुरूस्त कीजिए-

इसी लिए सारा मसअला दिल का है, दिल जब दुरुस्त हो जाता है तो हर चीज़ दुरुस्त हो जाती है, इसीलिए नमाज़ में जो लोग दाढ़ी और कपड़े आदि चीज़ों से खेलते रहते हैं कि अगर उसके दिल में खुशूअ होता है तो हाथ पैर भी ठीक होते हैं, मालूम हुआ कि दिल बहक रहा है कि कभी हाथ उठाता है, कभी खुजलाता है, कभी कपड़े ठीक करता है सबसे अच्छी नमाज़ यह है कि बिल्कुल खामोश खड़ा हो यह सब कुछ न हो जैसा कि एक बंदा अल्लाह के हुजूर में खड़ा होता है, चूंकि दिल मचलता ही नहीं बल्कि उछलता रहता है जहाँ नमाज़ की नीयत की, अल्लाहु अकबर कहा मालूम हुआ दिल साहब निकल गये और कहा अस्सलामु अलैकुम अच्छा मैं तो चला, कभी घर में है, कभी बाज़ार में है, आप तजरिबा करके देख लीजिए, यह इसलिए कि एक तो यह कि अभी दिल काबू में नहीं आया, दूसरे हजरत शैतान साहब बैठे हुए हैं कि नमाज़ ही में उसको परेशान करना है, उसके दिल को निकालो, दिल भागा भागा फिरता है।

❖❖❖

पाठक "सच्चा राही" के खरीदार बना कर सहयोग दें।

अरबी फारसी अलफ़ाज़ को देव नागरी लिपि में लिखना

—इदारा

आज कल हमारे मुल्क के पढ़े लिखे मुसलमानों में हिन्दी भाषियों की अकसरीयत है, बल्कि यह कहना सहीह होगा कि उर्दू, समझने और लिखने पढ़ने वालों की तादाद बराय नाम रह गई है, यही वजह है कि अब दीनी मजामीन की किताबें हिन्दी में लिखी जा रही हैं और यह काम बहुत ज़रूरी भी है। यह सच्चा राही भी इसी ज़रूरत को पूरा करने की एक कोशिश है।

अरबी, फारसी के बहुत से हुरूफ़ (अक्षर) ऐसे हैं जिनके उच्चारण और जिनके मख़ारिज (उदगम) वाले हुरूफ (अक्षर) देव नागरी में नहीं हैं हम उनको देवनागरी में जिस तरह लिखते हैं यहाँ उनका वर्णन कर रहे हैं।

तराज़ू की ता और तालिब की तो की लिपि उर्दू में अलग–अलग है लेकिन उर्दू वाले बोलने में तराज़ू तथा तालिब की ता में अंतर नहीं करते इसलिए हम दोनों को "त" से लिखते हैं। सुबूत की सा, सरौता की सीन और साबिर के साद का इम्ला उर्दू में लगल–अलग है, परन्तु हम इन सब को "स" से लिखते हैं। ज़ात का ज़ाल, ज़ोर की ज़ा, ज़ालिम की ज़ो और ज़रूरत के ज़ाद के रूप उर्दू में विभिन्न हैं, परन्तु हम इन सब को "ज" के नीचे बिन्दी लगा कर लिखते हैं। ख़ून की ख़ा और खाल की खा में अन्तर करने के लिए "ख" के नीचे बिन्दी लगाते हैं, हाफ़िज़ की हा और हल्दी की हा में अंतर के लिए "ह" के नीचे बिन्दी लगाते हैं, अल्लाह के अलिफ़ और आलिम के ऐन में अंतर के लिए "अ" के नीचे बिन्दी लगाते हैं, ग़ालिब के ग़ैन और गमले की ग में फ़र्क़ करने के लिए "ग" के नीचे बिन्दी लगाते हैं, क़लम के क़ाफ और काग़ज के काफ़ में फर्क करने के लिए "क" के नीचे बिन्दी लगाते हैं।

इल्म (इ़ल्म), ईद (ई़द), उम्दा (उ़म्दा), लऊक़ (ल़ऊक), ऐब (ऐ़ब) में हम ऐन (ऐ़न) का लिहाज़ न करके इस तरह के अलफ़ाज़ हिन्दी लिपि में लिखते हैं इसलिए कि हिन्दी वाले इसके पढ़ने में कठिनाई महसूस करेंगे अलबत्ता औरत में बिन्दी लगा देते हैं।

फारसी के मुरक्कब (शिक्षित) शब्दों में पहले शब्द के अन्तिम अक्षर को ज़ेर से पढ़ते हैं उसके लिए या तो छोटी इ की मात्रा लगाएं जैसे दीवानि ग़ालिब, रहमति आ़लम या फिर "ए" की मात्रा लगाएं जैसे दीवाने ग़ालिब, और रह़मते आ़लम, आम तौर से हम "ए" की मात्रा से ही लिखते हैं, कुछ लोगों ने दोनों शब्दों के बीच ए लिखा है जैसे रह़मत–ए–आलम हम इसे सहीह नहीं समझते। हमने इसे ऐसे दो लफ़्ज़ों (शब्दों) के बीच में अपनाया है जिन के पहले शब्द या अन्तिम अक्षर हाए मुखतफी (आवाज़ न देने वाली हा) जैसे ख़ानह, नामह, राज्दह इन अल्फ़ाज़ को अकेले बोलने

में चूंकि आखिर के "ह" की आवाज़ नहीं निकलती है इसलिए हम इन को "आ" की मात्रा से लिखते हैं जैसे ख़ाना, नामा, सज्दा आदि परन्तु फारसी तरतीब में आखिर के ह को न लिखकर उससे पहले वाले अक्षर के साथ ए मिला कर दो डेशों के बीच में लिख कर तरकीब का अगला शब्द लिखते हैं जैसे ख़–नए–ख़ुदा, न–मए–दोस्त, सज–दए–शुक्र आदि।

उर्दू के ज़बर के स्थान पर हिन्दी में कोई चिन्ह (मात्रा) नहीं है, यद्यपि हिन्दी हर अक्षर पृथक पढ़ने में ज़बर की ध्वनि से पढ़ा जाता है, जैसे क, ख, ग आदि, कभी अरबी वाक्य लिखने की आवश्यकता होती है तो अरबी में कभी शब्द का अन्तिम अक्षर ज़बर से पढ़ना पढ़ता है जैसे अन्त (इसमें त को पृथक त की भांति पढ़ेंगे) तो हम अरबी शब्द लिखते समय साकिन हर्फ (गतिहीन अक्षर) को आधा लिखते हैं या फिर उसे हलन्त देते हैं, अतः जब हम कुर्आन का कोई वाक्य लिखें तो उसमें जिस अक्षर पर हलन्त न हो उसे वैसे पढ़ें जैसे पृथक पढ़ते हैं, जैसे, अल्लाहुम्मा, की अन्तिम मीम और सुब्हानका, का अन्तिम काफ़ आदि याद रहे अरबी वाक्य लिखते समय जिन अक्षरों की आवाज़ नहीं निकलती हम उन्हें नहीं लिखते जैसे (ला इलाह इल्ला अल्लाह) के स्थान पर ला इलाह इल्लल्लाह लिखते हैं।

यहाँ यह बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि हिन्दी वाले जिन अक्षरों का हमने उल्लेख किया है उनका शुद्ध उच्चारण जानकार से सीखे बिना नहीं हो सकता है। हम एक दीनी संस्था से सम्बन्धित हैं तथा उर्दू, अरबी के स्कालर हैं अतः हमारा कर्तव्य है कि हिन्दी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी अल्फ़ाज़ के उच्चारण को बिगड़ने से बचाएं, हम उन हिन्दी भाषियों को धन्यवाद देते हैं जो समाज में प्रचलित अरबी, फारसी और उर्दू के अल्फ़ाज़ हिन्दी में प्रयोग करके हिन्दी को लोकप्रिय बनाते हैं परन्तु हम उनके अशुद्ध शब्दों को अपना कर शुद्ध शब्द लिखना आवश्यक जानते हैं।

ज़ैसे हमारे भाई लिखते हैं– दुनिया, बुनियाद, ज़्यादा, ख़्याल, रुझान, मुहब्बत आदि।

हम लिखते हैं– दुन्या, बुन्याद, जियादा, ख़ायाल, रुजहान, महब्बत आदि।

अरबी फ़ारसी के ऐसे अल्फ़ाज़ जिनके बीच में कोई अक्षर साकिन आता है (मात्रा हीन होना है) और उसके पश्चात वाला अक्षर मुतहरिक (मात्रा वाला) होता है तो हम कभी उसे आधा न लिख कर पूरा लिख देते हैं, जैसे कुरआन (कुर्आन), कलमा (कल्मा), हमला (हम्ला) आदि इसलिए कि उर्दू हिन्दी वालों के अनुसार मात्रा वाले अक्षर से पहले वाले अक्षर को साकिन पढ़ना पढ़ेगा।

जिन शब्दों के बीच में ऐन (अैन) साकिन आता है हम आम तौर से उनको "आ" की मात्रा से लिखते हैं। जैसे बाद (बआ़द), आमाल (अआ़माल), आला (अआ़ला) आदि। परन्तु इनमें जो शब्द दीनी हैसीयत (धार्मिक स्थान) रखते हैं उनमें अ़ लिखते हैं जैसे नअ़त, वअ़ज़ आदि। ❑❑

आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात चुग़ली

—शमीम इक़बाल खाँ

आज हम सूचना प्रौद्योगिक अर्थात इन्फ़ार्मेशन टेक्नालॉजी (IT) के युग में कुलाचें भर हरे हैं, कुछ वर्ष पूर्व यह मुहावरा कहा जाता था "सेहत हज़ार नेअ़मत है" और लोग अपनी सेहत बनाये रखने के लिए फिक्रमन्द रहा करते थे, हवा और रौशनी को सेहत के लिए बहुत ज़रूरी समझा जाता था इसी लिए मकान बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाता था कि घरवालों को भरपूर रौशनी और हवा मिलती रहे, बिजली के जलवे ने हवा और रौशनी दोनों की कमी दूर कर दी लेकिन आबादी की भरमार ने घरों को छोटा कर दिया, हमारे एक बुज़ुर्ग और स्वर्गीय दोस्त ने एक बार कहा था कि पहले बड़े—बड़े मकान हुआ करते थे तो लोगों के दिल भी बड़े हुआ करते थे अब मकानों के आकार के हिसाब से छोटे—छोटे दिल के लोग हो गये हैं, बड़े और छोटे दिल से मुराद उनके आकार या वज़न से नहीं था कि पहले वाले लोगों का दिल डेढ़ किलो का हुआ करता था और अब मात्र सौ ग्राम का हो गया है।

उदारता, सहनशीलता और क्षमाभाव बड़े दिलवाले की पहचान हुआ करती थी, दूसरों की टोह में रहना, ईर्ष्या और अहंकार यह छोटे दिल वालों का परिचय है, उन्हें अपनी स्वार्थ सिद्धी से मतलब होता है, दूसरों को किस प्रकार का नुकसान पहुँचता है इसे वे नहीं महसूस कर सकते क्योंकि उनका दिल छोटा होता है।

मैंने बात शुरु की थी सूचना प्रौद्योगिकी की और फंस गया दिल, जिगर, जान के जंजाल में, सूचना एकत्र करना, उन्हें व्यवस्थित करना और आवश्यकतानुसार उनसे उत्तर प्राप्त करना ही सूचना प्रौद्योगिक है, इस प्रकार की सूचनाओं के एकत्र करने का स्रोत कम्प्यूटर हुआ करता है, अगर अकेला कम्प्यूटर है तो सूचना का दायरा उसी कम्प्यूटर पर एकत्र सूचनाओं तक महदूद रहेगा अगर कम्प्यूटर नेट—वर्किंग में है तो सूचना का दायरा दूसरे से जुड़े हैं तो फिर क्या कहने, जितने कम्प्यूटर उतनी ही अधिक सूचना का भण्डार, अगर कोई इन्टरनेट का सदस्य है तो "पाँचों उंगली घी में" कहावत के आधार पर संसार भर के कम्प्यूटरों से हर प्रकार की सूचना प्राप्त करें और दूसरों तक पहुँचा कर आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक लाभ उठायें।

ऐसा नहीं है कि जब से कम्प्यूटर का प्रयोग शुरु है तभी से सूचना एकत्र करने और उससे फ़ायदा उठाने का कार्य हो रहा है, प्राचीन काल से ही सूचनाओं का आदान—प्रदान बहुत ही उच्च कोटि का रहा है। सूचनाओं की विश्वसनीयता इसलिए रहती थी कि यह किसी मनुष्य के लिए किसी मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य के सम्बन्ध में

होती थी, वे सूचनायें जिनका स्रोत मनुष्य है उनका वर्गीकरण (मेरे विचार से) दो प्रकार से किया जा सकता है– सामान्य प्रकार की सूचना तथा ख़तरनाक प्रकार की सूचना।

सामान्य प्रकार की सूचनायें आम तौर से सत्य पर आधारित होती हैं जैसे किसी का नाम पता पूछा जाना, बताने वाला यदि बहुत क्लिष्ट–टाइप का न हुआ तो अपना ही नाम पता बतायेगा या जो बात पूछी जायेगी उसी के सम्बन्ध में उत्तर देगा, बेकार और अनावश्यक बातों से परहेज़ करेगा, इससे जुड़े हुए मुख्यतः भले लोग ही होते हैं या यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ख़ुराफ़ात में पड़ना नहीं चाहते, बात को बात ही रहने देते हैं बात का बतंगड़ नहीं बनने देते।

सूचनाओं के स्रोत के वर्गीकरण के आधार पर ख़तरनाक किस्म की सूचना दो प्रकार की होती है पहली ''अफ़वाह'' और दूसरी ''चुग़ली'' यह दोनों छोटी बड़ी बहने हैं इसलिए दोनों के स्वभाव बहुत मिलते जुलते हैं, इन दोनों की एक ही मंशा रहती है ''अशांति'' यदि किसी प्रकार की अशांति व्यक्ति विशेष को कुप्रभावित करे तो इस प्रकार की सूचना ''चुग़ली'' कही जा सकती है और यदि जनसमूह में अशांति फैले तो ऐसी सूचना ''अफ़वाह'' कहलाती है, ''अफ़वाह'' जब फैलती है तो जंगल की आग की तरह फैलती है यद्यपि इसके जन्मदाता का पता नहीं चल पाता, अभी कुछ दिन पहले की बात है लखनऊ और उसके आस–पास के जिलों में ''पकन्ना'' का बड़ा जोर रहा, इसकी कहानी यह थी कि देर रात में ''पकन्ना'' आते हैं और लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं (पकड़ कर ले जाने वालों को पकन्ना का नाम रख दिया) और मार कर डाल देते हैं, इनकी लाशों को जगह–जगह देखे जाने के दावे भी किये जाने लगे, यह बात अलग है कि किसी ने भी अपनी आँखों से लाश को देखने की बात नहीं कही, इस सूचना ने यह हालत कर दी कि भले और शरीफ़ लोग ''पकन्ना'' का सदस्य समझ कर पीटे जाने लगे, इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों ने सूरज डूबने के बाद घर से निकलना बन्द कर दिया, उन्हें चाहे जितना ज़रूरी काम हो, अपनी जान बचाये घर में पड़े रहते थे, जो बेचारे दूसरे शहर से आते थे और यदि रात बिरात अपने रिश्तेदार का पता किसी से पूछ लिया तो समझो वह ''पकन्ना'' समझ लिया गया, अब यह उसकी किस्मत पर रहता था कि वह पीटा जाता है या बच निकलता है।

इसी तरह से दिल्ली में बन्दर नुमा आदमी की ख़बर फैली जिसे देखो वह इसके अदभुत किस्से इस तरह सुनाता था जैसे अपनी आँखों से सबकुछ देखा हो, हर अफ़वाह की तरह यह अफ़वाह भी कुछ दिनों के बाद सर्दखाने में जा कर सो गई, यह नहीं पता चल पाता कि ख़बरें अफ़वाहों में कैसे बदल जाती हैं, यह भी नहीं मालूम हो पाता कि यह इतना बड़ा काम कौन कर जाता

है, लेकिन कभी कभी अनजाने में ही खबर, अफ़वाह बन जाती है।

लखनऊ में अकसर शिया–सुन्नी का मस्ला गर्माता रहता है, ऐसे ही एक मौके पर जब मामला गर्म हो कर थोड़ा ठण्डा होने लगा था, तभी अमीनाबाद में एक बच्चे की मासूम सूचना अफ़वाह बन गई, हुआ यूँ कि उसके पास एक खोटी अठन्नी थी जिसे चलाने का उसने बहुत प्रयास किया परन्तु चल नहीं पा रही थी, शाम के झुरमुटे में किसी कमज़ोर आँख के खोम्चे वाले ने उसकी अठन्नी के बदले सामान दे दिया, वह लड़का सामान लेकर खुशी से "चलगई–चलगई" चिल्लाता हुआ अपने घर की ओर भागा, लोगों ने जब "चलगई–चलगई" की आवाज़ सुनी तो बिना सोचे समझे यह तय कर लिया कि यकीनन गोली चल गई और फटाफट दुकानों के शटर गिरने लगे और बाज़ार में भगदड़ मच गई, एक गली में अपने दरवाज़े पर खड़े एक साहब ने उस बच्चे से पूछा "अबे क्या चल गई?" बच्चा उसी रफ़्तार से भागते हुए बोला "अठन्नी" लोग चल गई का पता नहीं क्या मतलब निकाल कर हलकान हुए जा रहे थे जबकि हकीक़त कुछ और ही थी।

बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो अपने में कोई हकीक़त नहीं रखती लेकिन अफ़वाह बन कर तबाही मचा देती हैं, लोग हकीक़त जानने की कोशिश नहीं करते और कव्वे के पीछे अपने कान के लिए दौड़ने लगते हैं।

अफ़वाह की तरह ही एक और खतरनाक किस्म की सूचना होती है जिसे साधारण बोल चाल में "चुग़ली" कहा जाता है, यह शब्द कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसे सुनकर यही एहसास होता है जैसे कोई कह रहा है "चाँदी के वर्क़ में लिपटी हुई पान की गिलौरी?" लेकिन साहब यह छोटा और सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द कितना खतरनाक और ज़हरीला है कि पूछिये मत, यह कोई नया शब्द नहीं है, समाज के सभी लोग इस शब्द का अर्थ और इसकी उपयोगिता से भली प्रकार से परिचित हैं, यह शब्द दूसरों की ऐसी–तैसी करने तथा अपने स्वार्थ की सिद्धी के लिए रामबाण समझा जाता है।

"चुग़ली" मुख्य रूप से तीन व्यक्तियों को अपने घेरे में रखती है एक तो वह जो दूसरे की ऐसी–तैसी करना चाहता है, दूसरा वह जिसकी ऐसी–तैसी की जानी हो और तीसरा वह व्यक्ति जो ऐसी–तैसी करने में सक्षम हो, इस प्रकार से तीन व्यक्तियों के नाम होंगे–

1. चुग़ली सुनने वाला
2. चुग़ली करने वाला
3. चुग़ली का शिकार अर्थात जिसकी ऐसी–तैसी की जानी हो।

चुग़ली एक साधारण सी बात होती है जिसके कहने का विशेष अन्दाज़ होता है यह अन्दाज़ ही साधारण बात और चुग़ली में पहचान कराता है, नमूना देखिए–

मिश्रा जी! राम प्रसाद आज कानपुर गया है।

"राम प्रसाद का कानपुर जाना" एक साधारण सी बात है जो मिश्रा जी को सम्बोधित करते

हुए उनके सूचनार्थ साधारण तरीके से कह दी गई है, अगर इसी बात को कहते समय अपने दायें बायें इसलिए देखा जाये कि अगर कोई दूसरा सुनने वाला तो नहीं है फिर मुँह सुनने वाले के कान के पास ले जाने की कोशिश में गर्दन थोड़ी आगे निकाली जाये, होंठों पर एक हल्की सी मुस्कराहट के साथ एक आंख दबा कर बात कही जाये तो यह चुग़ली रूपी हो जाती है।

ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चुग़ली सुनना पसन्द ही करता हो लेकिन वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पानी की लगातार धार से पत्थर सरकता भी है, चुग़ली सुनने का परहेज़ ज़ियादा दिनों तक नहीं चल पाता और एक दिन ऐसा आता है कि परहेज़गार लोग भी होठों पर हल्की मुस्कराहट के साथ, चुग़ली रूपी सूचना को ग्रहण करने के लिए अपनी गर्दन आगे की ओर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें भी यह एहसास होने लगता है कि सूचना के बिना मनुष्य अधूरा रहता है इसलिए वह भी सूचनाओं के आदान प्रदान में लगजाते हैं भले ही प्रारम्भ में बड़े आदर्श की बातें करते हों।

मनवीय कर्तव्य तो यह होना चाहिए कि किसी के ऐब अर्थात बुराई पर पर्दा डाला जाये परन्तु इस सूचना प्रौद्योगिक के युग में इस प्रकार की बेवकूफ़ियाँ कोई नहीं करता, अपने स्वार्थ की सिद्धी एवं चुग़ली में चटख़ारा पैदा करने के लिए झूठ–सच, अच्छे बुरे का ध्यान रखे बिना, अपने साथियों और सहयोगियों की ऐसी–तैसी करने के लिए तिल का ताड़ बनाते रहो और खुद कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते रहो।

प्रोफ़ेसर रशीद अहमद सिद्दीकी चुग़ली रूपी सूचना पर तीख़ा प्रहार करते हुए लिखते हैं "चुग़ली खाना, ग़िज़ा भी है और वरज़िश भी" चुग़ली एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके बग़ैर हमारी सोसायटी का दस्तरख़्वान फीका और वीरान रहता है, जिस तरह खाने का राज़ विटामिन है, सोसायटी की आबरू चुग़ली से है।

मेरे विचार से केवल छोटे दिल वाले "चुग़ली" को बुरा समझते होंगे लेकिन अगर इसे चुग़ली न समझ कर सूचना समझा जाये तो यह एक बहुत ही फ़ायदे का काम है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कुलाचें भर रहे हैं। ❑❑

इस्लाम का वादा.....

अतः हमको यही कहना चाहिए कि इस्लाम का वादा इस्लाम लाने वालों के लिए इस संसार में शांति वाला अच्छा जीवन देना है और आखिरत के शाश्वत जीवन में अल्लाह की प्रसन्नता दिला कर जन्नत के रूप में अल्लाह के इन्आमात (पुरस्कार) दिलाना है अब अगर इस संसार में भी ख़िलाफते अरज़ी (शासन) मिल जाए तो यह उसका मज़ीद करम होगा परन्तु जिस ईमान वाले को यहां शासन मिले और वह अल्लाह के आदेशानुसार न चला सके तो यह उसका पुरस्कार (इनआम) नहीं अपितु उसकी कठिन परीक्षा है यदि वह अल्लाह के आदेशानुसार शासन न चला सकेगा तो अल्लाह के प्रकोप से न बच सकेगा। ❑❑

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक मस्जिद की तामीर के लिए चन्दे की अपील की गई अल्लाह के करम से चन्दा इतना आया कि मस्जिद की तामीर के बाद खासी रक़म बच रही अब इस रकम को कहां खर्च किया जाये? क्या इस बची रकम से दूसरी मस्जिद बनाई जा सकती है? या दूसरी मस्जिद में पैसों की ज़रूरत हो तो वहां यह रकम दी जा सकती है?

उत्तरः एक मस्जिद को बनाने के लिए जमा की हुई रकम से मस्जिद बनाने के बाद जो रकम बच गई है अगर मस्जिद को उसकी जरूरत न हो और उसको मस्जिद की आइन्दा ज़रूरतों के लिए बचा कर रखने में दुश्वारी हो तो उस रकम को करीब की किसी मस्जिद की जरूरतों पर खर्च किया जा सकता है।

प्रश्नः एक शख्स की वफात हुई, उसके वरसा में सिर्फ एक बीवी है और उसके चचा का एक लड़का है एक लड़की है। न माँ न बाप न भाई, न बहन न चचा, उसका तर्का किस तरह बाँटा जायेगा?

उत्तरः वफात पाने वाले पर अगर कर्ज है तो पहले उसके तर्के से कर्ज अदा करेंगे, कोई वसीयत हो तो उसको पूरा करेंगे मगर वसीयत में एक तिहाई तर्के से जियादा न दिया जायेगा फिर बचे तर्के में से एक चौथाई बीवी पाएगी और तीन चौथाई चचा का लड़का पाएगा। चचा की लड़की कुछ न पाएगी याद रहे कि वारिसों के हक में कोई वसीयत नहीं मानी जाती है।

प्रश्नः एक ताजिर अपना सामान जब उधार किस्तों पर बेचता है तो बाजार भाव से बढ़ा कर दाम मुकर्रर करता है अब अगर कोई शख्स उससे बाजार के आम रेट से जियादा पर ले रहा हो और जो कीमत तै हो उसकी अदायगी एक साल के अन्दर या जियादा मुद्दत में किस्तवार हो तो क्या इस तरह का मुआमला करना दुरुस्त है?

उत्तरः सामान की कीमत जब तै हो जाये चाहे उधार होने की वजह से कीमत जियादा ही हो और कीमत की अदायगी किस्तवार हो तो यह मुआमला दुरुसत होगा और अदायगी का यह तरीका भी शरअ़न दुरुस्त है हदीस में है कि "मुसलमानों का आपस में शराइत के मुताबिक मुआमला करना दुरुस्त है। अलबत्ता कोई ऐसी शर्त ना हो जो हलाल को हराम कर दे या हराम को हलाल कर दे"। (तिर्मिजी 251/1)

प्रश्नः कुछ ऐसे भी मालदार होते हैं जो अपना कर्ज अदा करने में टाल मटोल के अलावा ऐसी तदबीरें करते हैं कि कर्ज मुआफ हो जाए हालांकि वह कर्ज अदा कर सकते हैं ऐसे लोगों का यह रवैया क्या दुरुस्त है?

उत्तरः किसी के पास अपना कर्ज अदा करने की वुसअ़त (शक्ति) हो फिर भी कर्ज मुआफ कराने की तदाबीर इख़्तियार करे तो यह ना

पसन्दीदा है पता नहीं कब मौत आ जाए और कर्ज जिम्मे में रह जाए नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि "मकरूज अपने कर्ज में कैद कर दिया जाएगा वह अपने रब से कियामत के दिन तनहाई की शिकायत करेगा"।

(मिशकात 252/1)

प्रश्नः एक शख्स ने अपने एक जानने वाले से कर्ज लिया लेकिन बरसों अदा नहीं कर सका जब सफरे हज का इरादा किया तो उसने अपने कर्ज ख़्वाह से कर्ज मुआफी की दरख़्वास्त की, उसने यह सोच कर उस वक्त मुआफ कर दिया कि हज से वापसी पर माँग लूँगा, हाजी साहब हज से वापस आ गये। सवाल यह है कि क्या कर्ज मुआफ करने के बाद दुबारा मुतालबा किया जा सकता है?

उत्तरः जब कर्ज मुआफ कर दिया तो मुआफ हो गया अब मुतालबे का हक नहीं रहा। फुक़हा ने बयान किया है कि कर्ज ख्वाह ने जब कर्ज अदा करने वाले को कर्ज से बरी कर दिया तो वह खत्म हो गया अब उसको मुतालबे का हक नहीं रहा। (इशबाह व नजाइर : 175)

प्रश्नः चंद लोगों ने मिल कर तिजारत के लिए साझे में एक दुकान ली उनमें से दो आदमी उस दुकान में काम करते हैं और तनख्वाह लेते हैं, उन लोगों के लिए तनख्वाह लेना शरअन दुरुस्त है या नहीं?

उत्तरः साझे की तिजारत में कोई साझेदार तनख्वाह पर काम करे तो यह दुरुस्त नहीं अलबत्ता जाइज़ सूरत यह है कि काम करने वाले साझेदारों का नफा में हिस्सा बढ़ा कर तै किया जाए ताकि काम करने की वजह से उसे जियादा नफा मिल जाये तमाम साझेदार इस पर राजी हों तो यह दुरुस्त है।

(रद्दुल मुहतार 6:483–484)

प्रश्नः कुछ लोग ठेकेदारी करते हैं और हुकूमत से सड़क या पुल वगैरह का काम लेते हैं उसमें ठेकेदार की कोई तनख्वाह मुकर्रर नहीं होती है बल्कि यह लोग काम अनजाम दे कर कुछ रकम बचा लेते हैं यही उनका मुआवजा होता है क्या शरअन ऐसा करना दुरुस्त है?

उत्तरः हुकूमत ने जिस काम का ठेका दिया और ठेकेदार ने यह तै करके मंजूर कर लिया कि इतने रूपये लूँगा और काम पूरा कर दूंगा तो यह मुआमला शरअन दुरुस्त है और काम पूरा करने के बाद जो रकम बच रहे वह उसके लिए जाइज़ है अलबत्ता काम में कमी रखना और धोखा करना दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों का शराइत और मुआहदे के मुताबिक मुआमला करना दुरुस्त है अलबत्ता ऐसी शर्त लगाना जाइज़ नहीं जिसमें हलाल को हराम या हराम को हलाल किया जा रहा हो। (तिर्मिजी 251/1)

प्रश्नः— एक ज़रूरत मंद शख्स ने किसी से पाँच हजार रूपये लिये और उसके पास जमीन रहन पर रख दी और दोनों में यह तै हो गया कि हर साल एक हजार रूपये बतौर किराया कटते रहेंगे तो क्या यह दुरुस्त है?

उत्तरः अगर उतनी ज़मीन का सालाना किराया एक हजार रूपये आम तौर पर वहाँ राइज

हो पेशगी रकम लेने की वजह से किराया कम न हो तो यह दुरुस्त है।

(रद्दुल मुहतार 2/431)

प्रश्नः सरकारी या गैर सरकारी इदारों (संस्थाओं) में टीचरों या मुलाजिमीन (नौकरों) की तनख्वाहों में से कुछ रकम काट ली जाती है और उसे मुलाजिमीन ही की भलाई के लिए एक फण्ड में जमा कर दी जाती है और रिटायर होने के वक्त उसमें मजीद उतनी ही रकम मिला करके दी जाती है जिस को प्राविडंण्ट फण्ड कहते हैं रिटायरमेन्ट के वक्त यह बढ़ी हुई रकम लेना क्या जाइज है क्या यह सूद तो नहीं है?

उत्तरः सरकारी या गैर सरकारी इदारों में टीचरों या मुलाजिमीन की तनख्वाहों में से फण्ड के नाम पर जो रकम काट ली जाती है और रिटायर मेन्ट के वक्त दोगुनी रकम दी जाती है उस फण्ड को मौजूदा दौर के फुकहा (विद्वानों) ने दुरुस्त करार दिया है यह सूद नहीं है सूद वह जाइद (बढ़ी हुई) रकम है जो अस्ल रकम पर मिले यहाँ यह सूरत नहीं होती क्योंकि मुलाजिम को वह रकम मिलती ही नहीं है इसलिए वह उसका मालिक नही है अखीर में जो कुछ रकम मिलेगी वह इदारे की तरफ से गोया अतीया या इनआम है। या इसको यूं समझें कि आखिर में जो कुछ मिला इदारे के जाबिते (नियम) के मुताबिक मुलाजिम का हक़ था।

प्रश्नः मौजूदा दौर (आधुनिक काल) में मकान या दुकान के मालिक दुकान या मकान किराये पर देने के वक्त कुछ रकम पगड़ी के नाम से लेते हैं और उसके बाद जो किराया तै हुआ है माहाना या सालाना वसूल करते रहते हैं तो यह पेशगी रकम लेना जाइज है? जब कि वह रकम किराये में काटी नहीं जाती।

उत्तरः अगर किराया इस तरह तक्सीम कर दिया जाये कि कुछ फिक्स रकम फौरी तौर पर ली जाये जो यकमुश्त हो और मुकर्ररा किराया हर माह या हर साल अदा होता रहे तो इसकी गुंजाइश है अल्लामा शामी ने इसको जाइज़ कहा है।

(रद्दुल मुहतार 41/7)

प्रश्नः एक शख्स ने दूसरे को पाँच बीघा जमीन इस शर्त के साथ दी कि मुझे पचास मन धान दे देना चाहे जमीन में कोई खेती करो या ना करो और चाहे जो गल्ला पैदा करो। क्या यह मुआमला दुरुस्त है?

उत्तरः अगर कोई किसी शख्स को ज़मीन इस शर्त के साथ दे कि उसमें धान की खेती करो और उसमें से पचास मन धान मुझ को देना तो यह सूरत जाइज नहीं है लेकिन अगर यह शर्त ना हो बल्कि यह शर्त हो कि मुझे पचास मन धान मिलना चाहिए खेत में चाहे जो भी खेती करो तो यह शक्ल जाइज़ है। (दुर्रुल मुख़्तार 40/9)

प्रश्नः अगर कोई अपनी ज़मीन दूसरे को मुकर्ररा मुद्दत के लिए मुकर्ररा रकम के बदले खेती करने को दे दे मगर किसी वजह से जैसे सैलाब वगैरह से खेती ना की जा सके तो मुकर्ररा किराया लेना दुरुस्त होगा या नहीं?

उत्तरः मुतय्यन मुद्दत (निश्चित काल) के लिए जमीन मुतय्यन रकम (निश्चित धन) पर बतौरे किराया देना और लेना दुरुस्त है चाहे किराये पर लेने वाले ने उस ज़मीन से फाइदा उठाया हो या नहीं (पीछे का हवाला)।

प्रश्नः अगर सूदी बैंक हो तो उसको किराये पर मकान देना दुरुस्त है या नहीं? और अगर बैंक ऐसा हो जिसमें जियादा तर कारोबारी मुआमलात होते हों और सूदी लेन देन भी, उसको मकान किराये पर देना कैसा है? दोनों का हुक्म यक्सां है या दोनों में फर्क है?

उत्तरः वह बैंक जो खालिस सूदी कारोबार करता हो उसको किराये पर मकान देना साहिबैन के नजदीक मकरूह और मना है और एहतियात इसी में है ताकि गुनाह के काम में मदद न हो अलबत्ता इमाम अबू हनीफा जवाज के काइल हैं लेकिन दूसरी किस्म के बैंक जिसमें जियादा कारोबारी (व्यापार आदि) मुआमिलात होते हैं और सूदी लेन देन भी, तो उस को मकान किराये पर देने में कोई हरज़ नहीं।

(दुर्रुल मुख्तार 563/9)

प्रश्नः सूदी बैंक में मुलाजमत करना कैसा है? आजकल मुलाजमत जल्दी नहीं मिलती है अगर किसी को बैंक में मुलाजमत मिल जाए तो मजबूरी में यह मुलाजमत की जा सकती है या नहीं?

उत्तरः सूदी बैंक में मुलाजमत करना सूदी कारोबार में मदद करना होता है इसलिए उसमें मुलाजमत जाइज नहीं, हाँ अगर किसी ने मजबूरी में मुलाजमत इख्तियार की है तो उसे चाहिए कि वह दूसरी जाइज मुलाजमत की तलाश में रहे और मजबूरी में जब तक दूसरी जाइज मुलाजमत न मिल सके उसको इख्तियार किये रहने की गुंजाइश है याद रहे कि अगर मजबूरी न हो तो गुंजाइश नहीं है।

(मुस्लिम शरीफ 27/2)

प्रश्नः एक शख्स ने अपना बीमा कराया, वह एक लम्बी मुकर्ररा मुद्दत तक, मुकर्ररा रकम किस्त वार जमा करता है, वह अपनी जमा की हुई रकम मुकर्ररा मुद्दत से पहले वापस नहीं ले सकता, उसकी रकम कम्पनी वाले तिजारती या सूदी कारोबार में चलाते रहते हैं सुवाल यह है कि रकम जमा करने में जब जकात के निसाब के बराबर रकम जमा हो जाए तो उस पर जकात फर्ज होगी या नहीं? अगर फर्ज होगी तो उसकी अदाएगी कौन करेगा? कुछ लोग कहते हैं जब मुकर्ररा मुद्दत के बाद जमा करने वाले को रकम मिलेगी तब उसपर जकात फर्ज होगी क्या यह सही है?

उत्तरः पूछे सुवाल में पहली बात तो यह है कि बीमा कराना जाइज़ नहीं है और बड़ा गुनाह है। इसलिए कि यह सूदी मुआमला है दूसरी बात यह है कि ज़िन्दगी का बीमा यह इख्तियारी अमल है इसमें रकम अपनी मरज़ी से जमा होती है अगर जमा करने वाला साहिबे निसाब है चाहे बीमा में जमा की हुई रक़म निसाब के बराबर न हो तब भी उस पर ज़कात वाजिब होगी कम्पनी चाहे बीच में रक़म निकालने की इजाज़त न दे तब भी साल पूरा होने पर हर साल उस पर ज़कात निकालना वाजिब है और यह वापस मिल जाने

शेष पृष्ठ..... 40 पर

सबक़ आमोज़ क़िस्सा (सीख प्रद कहानी)

—अज्ञात कहानी कार

एक छोटा परिवार था, बाप, बेटा, पोता, बहू, परचून की पुरानी दूकान थी और खूब चलती थी, दीनदार बाप अब बूढ़ा हो चुका था उसकी दयानत दारी और सच्चाई ही से दूकान चमकी थी, अब अधिकतर बेटा दूकान पर बैठने लगा है बाप की तरह उसकी भी सच्चाई मशहूर थी और दूकान पहले से जियादा तरक़्क़ी पर हो गई, बहू पढ़ी लिखी फारवर्ड थी, पोता दस वर्ष का हो चुका था स्कूल जाता था, बूढ़ा बाप जियादा तर घर के कमरे में आराम करता था, बेटा दूकान पर, पोता स्कूल में घर में फारवर्ड बहू अकेली रहती थी, इसमें शक नहीं कि वह घर को साफ सुथरा रखती थी बावरची ख़ाना संभालती थी, सुब्ह नाश्ता तैयार करना, दोपहर में खाना तैयार करके घर वालों को खिलाना, बल्कि अपने बच्चे के स्कूल जाने से पहले, और शौहर के दूकान आने से पहले मुनासिब (उचित) खाना बना कर बेटे और शौहर के टिफिन बाक्स में भरदेना और दोपहर में वक्त पर ससुर को खिलाना फिर रात में सबका अच्छा खाना पका कर खिलाना बरतन साफ करना, फिर ससुर शौहर और बेटे के बिस्तर ठीक करना यह सारे काम बड़े सवेरे से और खुशी से करती थी, कोई मेहमान आ जाय तो ससुर के बड़े कमरे में ठहरा कर उसकी ख़ातिर व मुदारात (सेवा) में कोई कमी नहीं करती थी।

इन सब बातों के साथ वह फेरी वालों के सामने बे झिझक आ कर बे ज़रूरत उनसे सौदे खरीदती और ज़रूरत से जियादा उनसे बातें करती और कभी बे वजह झगड़ती थी कभी बाज़ार निकल जाती थी, यह बातें दीनदार ससुर को ना गवार थीं, उन्होंने रोक टोक शुरू की, वह बात बहू को ना पसन्द हुई, बात बढ़ती गई यहाँ तक कि एक दिन बहू ने अपने शौहर से कह दिया कि आप अपने अब्बा को कहीं और रखिए या अपने साथ रखिए मैं उनकी खिदमत अब न कर सकूंगी, उन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है।

बेटे को बहुत दुख हुआ, मगर बीवी के सामने हथियार डालने पर मजबूर हुआ और दबी ज़बान से बाप से सारी बातें बताते हुए कहा कि आप बहू को कुछ न कहा करें।

बाप खुददार (स्वाभिमानी) था बात समझ गया और उसने बेटे से कहा, बेटे! जब बहू की ज़बान से यह बात निकल चुकी है कि वह मेरी खिदमत नहीं कर सकती तो मैं इतना गया गुज़रा नहीं हूँ, मैं अभी यह कमरा छोड़ता हूँ, मैंने दूकान के ऊपर जो लैट्रिन के साथ कमरा बना रखा है उसमें एक तख़्त भी है, बेटे मैं चला, बेटे तुम्हारी बीवी बच्चे तुमको मुबारक हों और खुदा तुम सबको खुश रखे। यह कह कर बाप कमरे से निकल कर दूकान की तरफ़ चल दिया।

दूकान की छुट्टी का दिन था बेटा घर पर था, स्कूल की भी छुट्टी थी पोता भी घर

पर था दूकान लग भग एक किलो मीटर की दूरी पर थी नवम्बर का महीना था ठण्डक शुरु हो चुकी थी, बेटे ने अपने बेटे से कहा, बेटे दादा खफ़ा हो कर जा रहे हैं, दौड़ के उनको कम्बल दे आओ फिर बाद में कोई नज़्म (प्रबन्ध) करूँगा पोता नया वाला कम्बल ले कर चला तो माँ ने पूछा यह कम्बल कहाँ ले जा रहे हो, बेटा बोला अब्बू ने दादा जान से न जाने क्या कह दिया है वह घर छोड़ कर जा रहे हैं यह कम्बल दादा को देने जा रहा हूँ। माँ ने कहा यह नया कम्बल अभी मैंने कल ही तो फेरी वाले से खरीदा है इसे रख दो वह पुराना वाला कम्बल दे आओ पोते ने पुराना कम्बल उठाया और दादा की तरफ दादा दादा पुकारते हुए दौड़ा, दादा पोते को चाहते थे आवाज़ सुन कर रुक गये और पोते की तरफ देखने लगे, पोते न चाकू निकाला और बड़ी तेज़ी से कम्बल के दो टुकड़े कर डाले यह माजरा उधर दादा और इधर उनका बेटा देख रहा था, बेटा अपने बेटे की तरफ डाँटते हुए दौड़ा और कहा कमबख़्त यह क्या किया? पोता बोला कुछ नहीं अब्बू, यह आधा कम्बल अपने पास रख लूँगा और जब आपको निकालूँगा तो यह आपको दूंगा। बेटे की आखें खुल गईं, दौड़ कर बाप के पैर पकड़ लिये और मना दना कर वापस लाए बीवी को नसीहत की इस बात में पोते ने अपने बाप की मदद की और परिवार का भविष्य सुधर गया। पोते की बुद्धि ने बड़ा काम किया।

❖❖❖

कुर्आन की शिक्षा.....

मौत हो गयी या हाथ लगाने के बाद मरा इन दोनों सूरतों में महरे मिस्ल पूरा देना अनिवार्य होगा, और अगर महर नियुक्त किया और हाथ लगाया या न लगाया तो इन दोनों सूरतों में जो महर नियुक्त हुआ था पूरा देना होगा।

2. बीच वाली नमाज़ से मुराद अस्र की नमाज़ है कि वह दिन और रात के मध्य में है उसकी ताकीद जियादा फरमाई कि उस समय दुन्या के कार्यों की भीड़ जियादा होती है और फरमाया खड़े रहो अदब से यानी नमाज़ में ऐसी हरकत न करो कि जिससे मालूम हो जाय कि नमाज़ नहीं पढ़ रहे हो ऐसी बातों से नमाज़ टूट जाती है जैसे खाना, पीना, बात करना, हंसना वगैरह।

फायदाः तलाक़ के हुक्मों में नमाज़ के हुक्म को बयान फरमाने की या यह वजह है कि दुन्या के मुआमलात और आपसी झगड़ों में पड़ कर कहीं खुदा की इबादत को न भुला दो और या यह वजह है कि स्वार्थियों और लोभियों को लालच और बुख़्ल के गलबे की वजह से अदल को पूरा करना और न्याय से काम लेना और वह भी रंज और तलाक़ की हालत में बहुत कठिन है फिर यह कि तुम मर्द माफ कर दो और न भुला दो एहसान करना, और इस हालत में उनसे अमल करने की उम्मीद बेशक बहुत दुशवार नज़र आती थी अतः इसका इलाज फरमा दिया गया कि नमाज़ की पाबन्दी और उसके हुकूक की रिआयत उम्दा इलाज है कि नमाज़ को गंदगियों के खतम करने और फज़ाइल के हासिल करने में बड़ा असर है। ❑❑

मस्जिदे नबवी का निर्माण

—मौलाना मुहम्मद मुजीबुद्दीन क़ासिमी

मक्का मुअज़्ज़मा से ठीक उत्तर में लगभग 300 मील की दूरी पर एक मुबारक और रौशन शहर आबाद है, जो पहले यसरिब, फिर मदीनतुलनबी और अब मदीना मुनव्वरा के नाम से प्रसिद्ध है। अहले इस्लाम की राय है कि पृथ्वी पर मक्का मुअज़्ज़मा के बाद मदीना मुनव्वरा सारे स्थानों से जियादा अफ़ज़ल और पवित्र है और वह शहर पवित्र क्यों न हो, जिसको अल्लाह तआला ने अपने सबसे प्रिय नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन में आपका निवास और देहावसान स्थल बनाया हो।

इस पवित्र भू–क्षेत्र की फ़ज़ीलत (महात्म्य) से संबंधित आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि मदीना बुरे आदमियों को इस तरह निकाल देता है जैसे कि भट्टी (आग) चाँदी के मैल को निकाल देती है (बुख़ारी)

इस पवित्र शहर की सबसे बड़ी फ़ज़ीलत यह है कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मुबारक व पवित्र शरीर इसी मुबारक ज़मीन में धरोहर के रूप में रखा हुआ है। आपके दस हज़ार सच्चे साथी रज़ि0 इसी शहर में आराम फ़रमा रहे हैं और उनके अतिरिक्त औलिया, उलमा और पीर–सूफ़ी तथा प्रतिष्ठित जन लाखों में यहां दफ़न हैं।

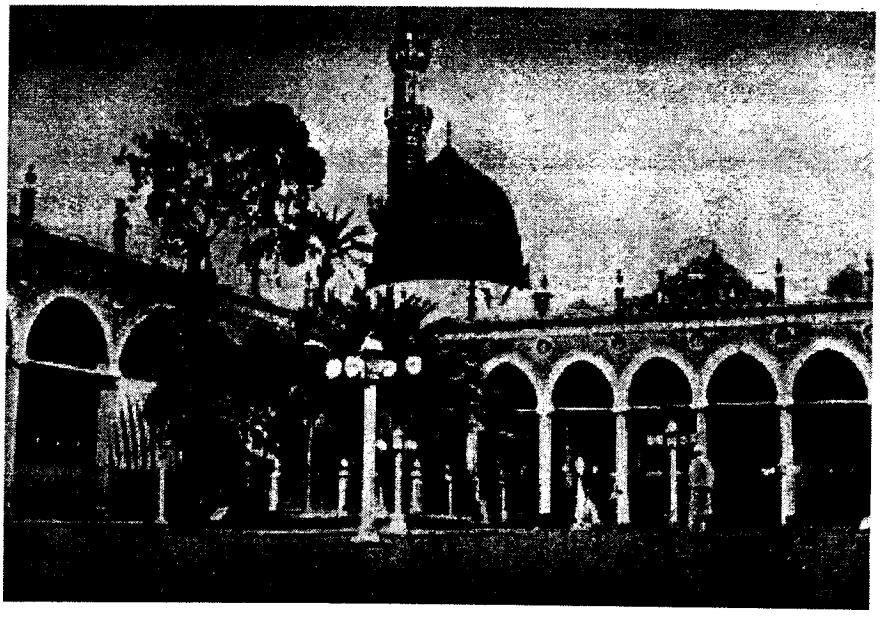

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि मदीना मेरी जाए हिजरत (प्रवास–स्थान) है, यही मेरा विश्रामालय है और मैं यहीं से महाप्रलय के दिन उठाया जाऊंगा। इन दोनों हदीसों में मदीना मुनव्वरा की महानता की झलक स्पष्ट रूप से दिखायी देती है, इसलिए हर मुसलमान को स्वाभाविक रूप से मदीना से महब्बत होती है। अतः हर मुसलमान चाहे वह किसी देश का निवासी हो उसकी प्रबल अभिलाषा होती है कि अल्लाह तआला उसको मदीना मुनव्वरा बुला ले।

मस्जिदे नबवी और रोज़ –ए–अतहर (आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पवित्र मज़ार) की ज़ियारत करा दे, बल्कि उस पवित्र सर ज़मीन में दफ़न होने की कामना

इतिहास पर एक नज़र

करता है, जिसके लिए वह दुआएं भी करता है। ये सारी भावनाएं केवल उस पवित्र स्थान की महब्बत, बड़ाई तथा महानता का प्रमाण है।

वैसे तो मदीना मुनव्वरा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, मगर कुछ मुख्य विशेषताएं ऐसी हैं, जो अन्य स्थानों में नहीं पायी जातीं। कुछ विशेषताएं इस तरह हैं–

• पूरे विश्व में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के अतिरिक्त कोई शहर बहुनामी नहीं है, अतः मदीना मुनव्वरा का ज़िक्र करते हुए अल्लामा समहूदी रह0 ने अपनी प्रसिद्ध किताब 'वफ़ा अल वफ़ा' में 94 नाम गिनाए हैं। जब कि शेख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रह0 'जज़्बुलकुलूब में 60 नाम बयान किए हैं (तारीख़े हरमैंन शरीफ़ैन–2/24)।

• आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना से जियादा महब्बत की दुआ फ़रमायी है। (बुख़ारी)

• आप सल्लल्लाहु

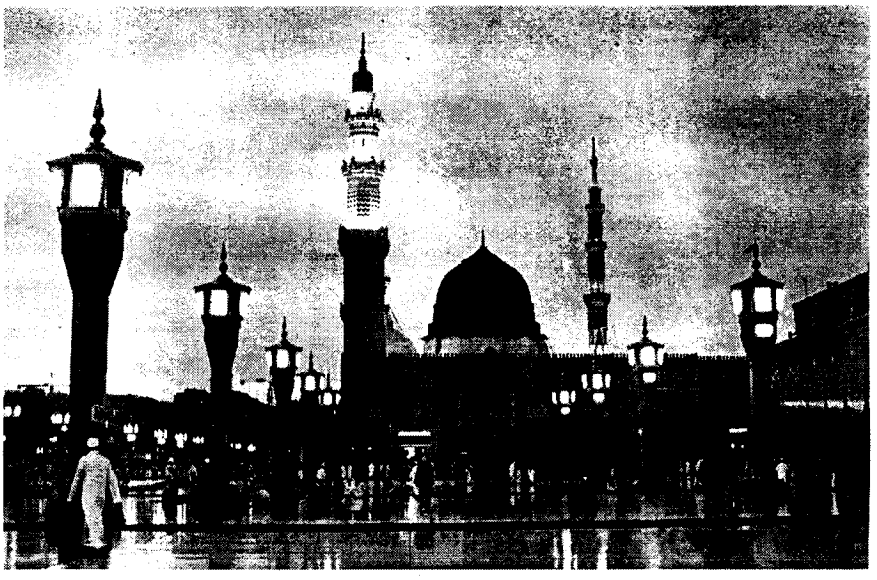

• आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना वासियों

अलैहि व सल्लम ने इस शहर में, इसके फलों–सब्ज़ियों और नाप–तौल में बरकत की दुआ फ़रमायी है।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

• जिस तरह मदीना हृदय के रोगों के लिए अकसीर (अमोघ–रसायन) है, उसी तरह उसकी मिट्टी भी शारीरिक रोगों के लिए लाभ प्रद है। (बुख़ारी–मुस्लिम)

• नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना तैयबा में निवास के दौरान पेश आने वाली तक़लीफ़ पर सब्र व संतोष करने वालों पर अपनी सिफ़ारिश की खुशखबरी दी है। (तिर्मिज़ी)

को सताने या किसी भी तरह का कष्ट देने से मना फ़रमाया है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे व्यक्ति पर लानत और उसके लिए हलाकत की बद दुआ फ़रमायी है।

• मदीना मुनव्वरा ताऊन (प्लेग) के रोग और दज्जाल के फ़ित्ने से सुरक्षित रहेगा। (बुख़री–मुस्लिम)

• स्पष्ट रहे कि मदीना की ये सारी विशेषताएं इस्लाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अस्तित्व के कारण हैं, वरना इससे पहले यसरिब (मदीना मुनव्वरा) भी विश्व के दूसरे शहरों की तरह एक शहर था।

• मदीना मुनव्वरा की सबसे बड़ी और मुख्य विशेषता मस्जिदे नबवी है। यह नबियों की निर्मित मस्जिदों में आख़िरी मस्जिद है। (मुस्लिम) यही मस्जिद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सारी दीनी, दावती अध्यात्मिक सरगर्मियों, शिक्षा–दीक्षा, मार्ग दर्शन व धर्मोपदेश, और आत्मसंयम का लगभग दस वर्ष तक केन्द्र बनी रही। इस मस्जिद की फ़ज़ीलत की वजह से इसके लिए निश्चय पूर्वक सफ़र करना पुण्य कार्य है। (बुख़ारी–मुस्लिम) यहां एक नमाज़ का सवाब हज़ार नमाज़ों के बराबर, एक जुमे का सवाब हज़ार जुमों के बराबर है यहाँ गुज़ारे हुए एक रमज़ान का सवाब हज़ार महीनों से बेहतर व अफ़ज़ल है। (बुख़ारी–मुस्लिम)

एक रिवायत में है कि जिस व्यक्ति ने मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ें जमाअत के साथ लगातार इस तरह पढ़ीं कि कोई नमाज़ न छूटी हो। इसके लिए तीन चीज़ों अर्थात नरक, यातना और कप्टाचार से मुक्ति लिख दी जाएगी। (मुस्नद अहमद, तबरानी)

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब हिज़रत फ़रमायी तो हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रज़ि0 के मकान में ठहरे और सबसे पहले मदीना में एक मस्जिद बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ि0 के मकान के सामने वाली ज़मीन चुनी गयी, जो दो अनाथ भाइयों सहल और सुहैल की थी। ये दोनों भाई हज़रत सअद बिन ज़ुरारह रज़ि0 के अधीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनसे यह ज़मीन दस दिरहम में खरीद ली, जबकि वे बिना मूल्य के आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को देना चाहते थे। यह ज़मीन ऊँची–नीची थी, जिसमें खजूर के पेड़, कुछ क़ब्रें और खंडहर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़मीन समतल करने के लिए पेड़ कटवाए, क़ब्रों को उखाड़ कर उनकी हड्डियों को दूसरी जगह दफ़न करने का आदेश दिया।

ज़मीन समतल हो जाने के बाद बुनियादों के लिए गड्ढे खोदे गए। सबसे पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने मुबारक हाथ से नींव में रखा। दूसरा पत्थर हज़रत अबू बक्र रज़ि0 ने, तीसरा पत्थर हज़रत उमर रज़ि0 ने, और चौथ पत्थर हज़रत उस्मान रज़ि0 ने रखा। उसके बाद सहाबा किराम रज़ि0 ने नींव में पत्थर भरना शुरु कर दिया। इस निर्माण में अंसार और मुहाजिरीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया। निर्माण के दौरान सहाबा रज़ि0 आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मिलकर एक शेअर पढ़ते थे, जिसका अनुवाद यह है– "ऐ अल्लह! आख़िरत की भलाई के सिवा कोई भलाई अहम नहीं, अन्सार और मुहाजिरीन को माफ़ फ़रमा।"

मस्जिदे नबवी का निर्माण इतनी सादगी के साथ किया गया कि क़िब्ले की दीवार में खजूर के तनों की

पंक्तियां और दाएं–बाएं पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गयीं और छत भी खजूर की शाखाओं से इतनी नीची बनायी गयी कि आदमी खड़ा हो तो आसानी के साथ हाथ लगा सके और और उस पर मिट्टी डाल दी गयी, जो बारिश में नमाज़ियों के सिर पर गिरती थी। इस तरह 7 गज़ ऊँची, उत्तर व दक्षिण की तरफ़ 54 गज़ चौड़ी और पूर्व व पश्चिम की तरफ़ 63 गज़ लम्बी मस्जिद बन गयी, जिसमें साज–सज्जा बिल्कुल न थी। न उसमें मिम्बर था और न ही मेहराब। केवल एक चार दीवारें कच्ची ईटों की बनी हुई थीं।

कुछ सहाबा रज़ि0 ने बाद में सजदे की जगह कंकड़ियाँ बिछा दीं, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पसन्द किया। सारे फर्श पर पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़े बिछवा दिए जिसको 'हसवर' कहते हैं।

इस प्रथम निर्माण में तीन दरवाज़े थे। एक दरवाज़ा दक्षिण की तरफ़ था, जिस तरफ़ अब क़िब्ला है। दूसरा दरवाज़ा पश्चिम की तरफ़ था, जिस तरफ़ अब बाबुस्सलाम और बाबे रहमत हैं और तीसरा दरवाज़ा पूर्व की ओर था, जिस तरफ़ अब बाबे जिबरील है, यह निर्माण सन एक हिजरी का है।

चूंकि मस्जिदे नबवी नींव डालने के प्रथम दिन से ही तंग पड़ती जा रही थी, क्योंकि अहले इस्लाम की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी लिए बार–बार मस्जिदे नबवी के प्रांगण के विस्तार की ज़रूरत पेश आती गयी। इसके विस्तार के कुछ विवरण निम्नलिखित हैं–

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के द्वारा आरम्भ में जो मस्जिद बनायी गयी थी, वह उस समय के लिहाज़ से काफ़ी थी और जब लोग भारी संख्या में इस्लाम में दाख़िल होने लगे, तो मौजूदा मस्जिद छोटी पड़ने लगी और समय गुज़रने के साथ–साथ जीर्ण–शीर्ण भी होती गयी। अतः जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ैबर से वापस तशरीफ़ लाए, तो मस्जिदे नबवी का नवनिर्माण और उसे विस्तृत करने का इरादा फ़रमाया। इसके लिए मस्जिद के पड़ोस में एक अन्सारी रज़ि0 का मकान था, जिसको हज़रत उस्मान रज़ि0 ने दस हज़ार दिरहम में खरीद कर मस्जिदे नबवी की सेवा में अर्पित कर दिया और अर्ज़ किया कि ऐ रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुझसे जन्नत में मकान के बदले यह मकान ख़रीद लीजिए।

इसके बाद वह मकान तोड़ कर मस्जिद में सम्मिलित कर लिया गया। इस निर्माण के बाद मस्जिद वर्गाकार रूप में हो गयी और हर तरफ़ से सौ गज़ की वृद्धि हो गयी। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने चौड़ाई में 40 हाथ और लम्बाई में 30 हाथ वृद्धि की। अब मस्जिदे नबवी का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर था, लेकिन क़िब्ला की ओर की दीवार पहले वाली सीमा तक ही रही। यह विस्तार सन् 7 हिजरी का है। विस्तृत किए हुए इस भाग के स्तम्भों की संख्या 19 है जो दो पंक्तियों में है। अर्थात एक

ओर 10 और दूसरी ओर 9। इन स्तम्भों की विशेष बात यह है कि इसके मध्य में गुलाब का फूल बना कर सुनहरी रेखाएं बना दी गयी हैं। जिनके कारण यह स्तम्भ रियाज़ुल जन्नत के स्तम्भों से विशिष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। इस समय नबूवत काल वाली मस्जिद की सीमा को नुमायां करने के लिए उसके अन्तिम स्तम्भों के ऊपर एक सुनहरी झालर पर सुनहरे शब्दों में 'हदे मस्जिदे नबवी' लिख हुआ है।

• आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के काल में मस्जिदे नबवी के स्तम्भ और उसकी छत खजूर के तनों की थी जो समय गुज़रने के साथ–साथ जीर्ण–शीर्ण होती गयी। प्रथम इस्लामी शासक हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि0 ने स्तम्भों के स्थान पर दूसरे स्तम्भ लगवाये और छत पर पड़े खजूर के तनों को भी बदलवाया। मगर इस परिवर्तन में उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जो स्तम्भ पहले जहां स्थित था, उनके ही स्थान पर नया स्तंभ लगवाया।

• हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि लोगों ने हज़रत उमर रज़ि0 से मस्जिद की तंगी के कारण उसको विस्तृत करने की मांग की थी। अतः उन्होंने मस्जिद को विस्तृत करने का आदेश दिया और जो मकान आपके और आपके परिवार वालों के थे उनको ध्वस्त करवा कर मैदान के रूप में परिवर्तित करवा दिया, लेकिन उसी पंक्ति में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ि0 का मकान भी था। हज़रत उमर रज़ि0 ने मस्जिद के विस्तार हेतु उस मकान को हज़रत अब्बास रज़ि0 से मुंहमांगी क़ीमत पर ख़रीदना चाहा, मगर हज़रत अब्बास रज़ि0 बेचने के लिए तैयार न हुए, क्योंकि इस मकान की नींव और निर्माण में हर क़दम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मश्विरा सम्मिलित था इसलिए हज़रत उमर रज़ि0 ने मस्जिद के विस्तार का इरादा स्थगित कर दिया।

जब हज़रत अब्बास रज़ि0 को विदित हुआ कि विस्तार का इरादा स्थगित हो गया है, तो उन्होंने हज़रत उमर रज़ि0 को यह संदेश भेजा कि मैं अपना मकान अल्लाह की राह में मस्जिद के लिए दान करता हूँ और इसका बदला आख़िरत में पाने का आकांक्षी हूं। इसके बाद सन् 17 हिज़री में हज़रत उमर रज़ि0 ने मस्जिद के विस्तार का कार्य प्रारम्भ किया और इंसान की ऊँचाई तक पत्थर से नींव को भरा गया। लगभग 16 फिट दक्षिण की ओर 31 फुट पश्चिम की ओर और उत्तर 47 फुट ज़मीन की वृद्धि हो गयी। पूर्व की ओर क़ब्रें और आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नेक व सदाचारी पत्नियों के हुजरे थे। इसलिए उनको हाथ नहीं लगाया गया, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ि0 के मकान को मस्जिद में सम्मिलित कर लिया गया। हज़रत उमर रज़ि0 ने मस्जिद परिसर में तीन दरवाज़ों की भी वृद्धि की, अर्थात कुल छह दरवाज़े हो गए, *ताकि* लोगों को

आने–जाने में सुविधा हो, लेकिन मुख्य बात यह थी कि आपने जितना विस्तार किया वह बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के निर्माण जैसा ही था। अर्थात कच्ची ईटों की दीवारें, छत खजूर के टहनियों की। परन्तु मज़बूती और लम्बी अवधि तक बाक़ी रहने के लिए खजूर के तनों के बजाय लकड़ी के स्तम्भ बनाए गए और छत की ऊँचाई जो पहले 7 हाथ थी, उसे बढ़ाकर 11 हाथ कर दी गयी।

एक मेहराब भी बनायी, जिसको मेहराबे उमर कहते हैं। इसके अतिरिक्त मस्जिद से बाहर एक चबूतरा बनवाया, जिसको ''बुतैहा' कहा जाता है, जो उद्‌बोधन या शेअर पढ़ने वालों के लिए था, लेकिन बाद के किसी विस्तार में इस चबूतरे को भी मस्जिद में सम्मिलित कर लिया गया।

• सन् 24 हिजरी में जब हज़रत उस्मान रज़ि0 इस्लामी साम्राज्य के शासक बने, तो लोगों ने जुमा के दिन मस्जिदे नबवी के तंग होने की शिकायत की। इस मांग पर उन्होंने अपने लोगों और इस्लामी धर्मशास्त्रियों से परामर्श किया और रबीउल अव्वल सन् 29 हिजरी में निर्माण का कार्य आरम्भ कराया, जो यकुम मुहर्रमुलहराम सन् 30 हिजरी को पूर्ण हुआ। आप रज़ि0 ने इस विस्तार में तीन (क़िब्ला, उत्तर और पश्चिम की दिशाएं) दिशाओं में वृद्धि की। क़िब्ला की ओर एक बरामदे की वृद्धि की जो अब तक 'मेहराबे उस्मानी' के नाम से सुरक्षित है, जहां आजकल इमाम साहब खड़े हो कर नमाज़ पढ़ाते हैं। क़िब्ले की दीवारें उस स्थान पर निर्मित थीं, जहां वे आज स्थित हैं। पश्चिम की ओर बरामदे के अतिरिक्त उत्तर की ओर दस हाथ की वृद्धि की, जो बाद के निर्माणों में परिवर्तित हो गया। उन्होंने दीवारें नये सिरे से पत्थर और चूने से निर्मित करवायीं। सीसा पिलाकर लोहे जैसे सुदृढ़ स्तम्भ स्थापित किए।

यह निर्माण अलंकृत पत्थरों से कराया और छत सागवान की लकड़ी से डाली गयी, परन्तु मेहराब कच्ची ईटों से ही बनाया गया। आप रज़ि0 ने हज़रत उमर रज़ि0 की शहादत की घटना के कारणवश इमाम की रक्षा के उद्देश्य से मेहराब की जगह कच्ची ईटों का एक अहाता और उसमें एक रोशनदान भी बनवाया। मस्जिद के दरवाज़े यथापूर्ण छह ही रखे, जिनमें उत्तर की ओर के दोनों दरवाज़े बाद के विस्तार में बन्द कर दिए गए और कई सदी तक चार ही दरवाज़े रहे।

• सुल्तान वलीद बिन अब्दुल मलिक की ओर से हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह0 मदीना के प्रशासक थे। सुल्तान वलीद ने मस्जिदे नबवी के नवीनीकरण और उसको विस्तृत करने का आदेश दिया कि पूरब–पश्चिम और उत्तर की तीनों दिशाओं में वृद्धि कराएं। अतः हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सन् 88 हिजरी में मस्जिदे नबवी का निर्माण प्रारम्भ किया। यह काम सन् 91, हिजरी में पूर्ण हुआ, जिसमें इस्लाम की पवित्र मांओं के हुजरे भी तोड़ कर सम्मिलत कर लिए गए। इस विस्तार में पश्चिम की

ओर बीस हाथ, पूरब की ओर लगभग तीस हाथ और उत्तर की ओर भी कुछ वृद्धि की गयी। आधुनिक निर्माण अलंकृत पत्थरों से किया गया, तथा स्तम्भ खोखले पत्थर से बनाए गए और उनके बीच में लोहा और सीसा डाला गया, जिनके सिरों और चौकोनों पर सुनहरे रंग की फूल–पत्ती और बेल–बूटे बनाए गए। दो छतें डाली गयीं, जिसमें निचली छत सागवान की लकड़ी से तैयार की गयी, जिसको सोने से अलंकृत किया गया।

मस्जिद की दीवार पर अन्दर की ओर संगमरमर, सोना और रंगीन ईटें लगायी गयीं। मेहराबे उस्मानी को लकड़ी से बदला गया, जो पहले कच्ची ईंटों की थी। इस विस्तार में सबसे पहले मेहराब और मीनार बनाए गए। इब्ने ज़बाला से उल्लिखित है कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने मस्जिदे नबवी का निर्माण व विस्तार किया तो चार मीनार भी बनवाए। इस तरह वलीद बिन अब्दुल मलिक के शासन काल में मस्जिदे नबवी की लंबाई दो सौ गज और चौड़ाई 167 गज हो गई और दरवाज़ों की संख्या 20 हो गयी।

• जब ख़लीफ़ा मेहदी बिन मंसूर अब्बासी हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा गए तो, जाफ़र बिन सुलैमान को मदीना मुनव्वरा का गवर्नर नियुक्त किया और उन्हें मस्जिदे नबवी को विस्तृत करने का आदेश दिया। इस काम में कुछ और लोगों को भी उनके साथ नियुक्त किया। अतः सन् 161 हिजरी में विस्तार का काम प्रारम्भ हुआ। इस बार उत्तर की ओर वृद्धि की गयी। मेंहदी ने मस्जिद के आस पास के कुछ घर ख़रीद लिए, जिनमें कुछ सहाबा रज़ि0 के भी थे। उनको भी मस्जिद के अहाते में सम्मिलित कर लिया गया। यह काम सन् 165 हिजरी में समाप्त हुआ।

मेंहदी अब्बासी और ख़लीफ़ा अब्दुल मजीद उस्मानी के विस्तारों के मध्य कुछ आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारणवश कई राज्यों के शासकों ने भी आवश्यकतनुसार विस्तार व निर्माण कार्य करवाया।

अतः सन् 654 हिजरी में चराग़ जलाने वाले के असावधानी के कारणवश आग लग गयी, जो सारी मस्जिद में फैल गयी, सिवाय उस कुब्बा (गुमटी) के जो मस्जिद के प्रांगण में सामान रखने के लिए सुल्तान नासिरुद्दीन ने सन् 576 हिजरी में निर्मित करवाया था और सब जल गया। मदीना वालों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की मगर सफल न हो सके। अतः मुहर्रम सन् 655 हिजरी में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो कर कुछ वर्ष के बाद पूर्ववर्ती नीवों पर ही मस्जिदे नबवी का नव निर्माण हो गया।

सन् 705 हिजरी में मलिक नासिर मुहम्मद बिन क़लादून ने मस्जिद की छत को बदल डाला तथा पूर्वी व पश्चिमी भाग का जीर्णोद्धार करवाया। मस्जिद के प्रांगण की ओर दो छत वाली दालान की वृद्धि की। लम्बी अवधि

के बाद जब इनमें सुधार की ज़रूरत पेश आयी, तो सन् 831 हिजरी में सुल्तान अशरफ़ बरसबाकी ने फिर से इनका नवनिर्माण करवाया। सन् 753 हिजरी में सुल्तान चक़मक़ ने रौज़तुलजन्नत की छत बदलवायी।

• सन् 879 हिजरी में 13 रमज़ान की रात बरसात बहुत तेज़ हुई। मीनारों पर गरज के साथ बिजली गिरी, जिसका प्रभाव छत पर पड़ा और छत में आग लग गयी। मस्जिद की दीवारें ध्वस्त हो गयीं। अधिकांश स्तम्भ टूट गए। केवल आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का रौज़ए मुबारक और पूर्ववर्ती कुब्ब–ए सहन सुरक्षित रहा। अतः सन् 879 हिजरी या सन् 888 हिजरी में सुल्तान क़ायतबायी ने मस्जिद के अधिकांश भागों, दीवारों, स्तम्भों और मीनारों का जीर्णोद्धार करावाया मेहराबे उस्मानी का विस्तृत किया और उसके पास स्तम्भ स्थापित करके कुब्बा बनाया। बाबे सलाम को संगमरमर से बनाकर उसे सोने–चांदी से अलंकृत किया। मस्जिद के आंतरिक भाग में दो कुब्बे स्थापित किए। मिम्बर और मेहराबे नबवी को विशिष्ट और शन्दार बनाया। बाबे सलाम से लेकर बाबे रहमत तक पश्चिमी दिशा की दीवार निर्मित की और बाबे रहमत पर आधुनिक मीनारों की स्थापना की।

• जब इस्लामी शासन आले उस्मान अर्थात तुर्की के सुल्तानों के हाथें में आया, तो सन् 980 हिजरी में सुल्तान सलीम ने मस्जिदे नबवी में कुछ सुधारात्मक कार्य किए। मेहराबे सुलैमानी को सोने के पानी से अलंकृत किया। फिर ख़लीफ़ा अब्दुल मजीद उस्मानी के शासन काल सन् 1265 हिजरी में मेहराबे सुलैमानी, मेहराबे उस्मानी दीवार मेहराबे नबवी, मे और बड़े मीनारों के अतिरिक्त सारी मस्जिद दोबारा निर्मित की गयी। मस्जिद के सारे फ़र्श पर और क़िब्ले वाली दीवार के आधे भाग तक संगमरमर लगाया गया। छत के सारे गुम्बदों में फूल–पत्ती और बेल–बूटे बनाए गए। रौज़ा–ए–अतहर के स्तम्भों को दूसरे स्तम्भों से विशिष्ट करने के लिए सफ़ेद और लाल संगमरमर लगाया गया। इस मस्जिद में एक नया दरवाज़ा 'बाबे मजीदी' के नाम से बनाया गया, जो वास्तव में मस्जिद के अन्दर था। विस्तारण का यह काम सन् 1277 हिजरी अर्थात 12 वर्ष में सम्पूर्ण हुआ, जिसमें तुर्की ने अपने कला–कौशल का भरपूर कमाल दिखाया। मस्जिद नबवी के विस्तार में बाद के शासकों ने भी अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। एक विस्तार व निर्माण सन् 1368 हिजरी अर्थात 1951 ई0 में हुआ। जिसमें मस्जिद के उत्तर, पूर्व और पश्चिम में आस–पास के क्षेत्रों को ख़रीदकर मस्जिद में सम्मिलित कर दिया गया। इमारते मजीदिया में से छत का दक्षिणी भाग यथावत रहने दिया गया। इस तरह मस्जिदे नबवी का कुल क्षेत्रफल 16326 वर्गमीटर हो गया। विस्तार का यह कार्य अक्टूबर 1955 ई0 में सम्पूर्ण हुआ जिसपर पाँच करोड़ रियाल खर्च हुए।

मस्जिद का दूसरा विस्तार 1406 हिजरी अर्थात सन् 1985 ई0 में हुआ। इस विस्तार कार्य के बाद नमाज़ियों की जगह पहले की तुलना में नौ गुना अधिक हो गयी। इस विस्तार में 6 नये मीनार बनाए गए। नये विस्तार में 27 दालान हैं, जिनकी छत गतिशील गुम्बदों की सूरत में है, ताकि गुम्बद हटाने से प्राकृतिक हवा और रौशनी प्राप्त हो सके। मस्जिदे नबवी का मूल सार गुम्बदे ख़िज़रा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिस स्थान पर आराम फ़रमां रहे हैं, वही आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का निवास स्थान था, जो हज़रत आइशा रज़ि0 के हिस्से में था। आपके उसी पवित्र मकान को गुम्बदे ख़िज़रा कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि0 ने अपने शासनकाल में पहली बार पवित्र हुजरे को कच्ची ईंटों से निर्मित करवाया था, जो वलीद बिन अब्दुल मलिक के निर्माण तक यथावत स्थिर रहा। सन् 678 हिजरी में ख़लीफ़ा मन्सूर क़लादून सालही के काल में हुजरा शरीफ़ पर गुम्बद का निर्माण हुआ। वर्तमान गुम्बदे ख़िज़रा के नीचे दो गुम्बद और हैं, जैसा कि इतिहासकार "तारीख़े मदीनतुल मुनव्वरा" में लिखते हैं कि जमाली ने पवित्र हुज़रे की दीवार पर एक गुम्बद बनाया और उस गुम्बद के ऊपर दूसरा गुम्बद भी निर्मित करवाया फिर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बद बनवाया, जिसने दोनों गुम्बदों को घेर रखा था।

(तारीख़े हरमैन शरीफ़ैन, 2/237)

❑❑

अन्तिम सलाम (पद्य)

पाठको अनुरोध है अब लो मेरा अन्तिम सलाम
यदि रहा जीवित करूँगा आपको मैं फिर सलाम
वर्ष बारह तक निरन्तर आपकी सेवा हुई
सेवा जैसी चाहिए यह सच है वैसी ना हुई
मानता हूँ मेरी जानिब से हुई कोताहियाँ
पर निरन्तर आप से मुझ को क्षमा मिलती रही
पाठको अनुरोध है अब लो मेरा अन्तिम सलाम
यदि रहा जीवित करूँगा आपको मैं फिर सलाम
वर्ष अस्सी हो चुके हैं फिर भी है आगे क़दम
नेत्र निर्बल हो चुके हैं फिर भी चलता है कलम
प्रतिदिन बीसों पृष्ठ सुन्ने का है अब तक नियम
शक्ति है मुझमें कहाँ यह रब का है मुझ पर करम
पाठको अनुरोध है अब लो मेरा अन्तिम सलाम
यदि रहा जीवित करूँगा आपको मैं फिर सलाम
जो पढ़ी अच्छी हैं बातें याद रखें अनको आप
चूक मुझसे जो हुई हैं भूल जाएं वह जनाब
है यही अनुरोध अन्तिम अपने लोगों से मेरा
यदि खफा हैं आप मुझसे करदें अब मुझको मुआफ
पाठको अनुरोध है अब लो मेरा अन्तिम सलाम
यदि रहा जीवित करूँगा आपको मैं फिर सलाम

(सम्पादक)

पत्थर दिल

—इदारा

हाइवे से गाँव जाने वाली एक चालू सड़क के किनारे एक बड़ा बाग़ था उसमें सड़क के किनारे के एक दरख़्त में शहद की मक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता लगा हुआ था। अचानक एक ममाख (एक बड़ा पक्षी) आया और छत्ते पर अपने पंख फड़फड़ाये, मधु मक्खियां एक किनारे हो गईं और वह शहद खा कर उड़ गया।

अब मक्खियों का हाल न पूछिए, वह (हमारी स्थानीय भाषा में) उधया गईं, जो भी रास्ते से निकलता उसको लिपट जातीं और डंक मार मार कर परेशान कर देतीं, देखते ही देखते रास्ता बन्द हो गया और अंधेरा होने से पहले खुल न सका।

एक गाँव के किनारे सड़क थी उस पर से एक ट्रक तेजी से गुजर रहा था, गाँव का एक बच्चा ट्रक की चपेट में आ गया और बेचारे की जान चली गई। परन्तु ट्रक वाला भागने में सफल हो गया लेकिन गाँव वाले मधु मक्खियों ही की तरह उधया कर सड़क पर आ गये, एक खाली ट्रक आ रहा था उसको रोका और उसमें आग लगा दी, बच्चे की लाश सड़क पर रख कर रास्ता रोक दिया गया, सड़क जाम हो गई। दोनों ओर दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हो गईं, एक बस से कुछ लोग उतर कर आए और गाँव वालों से हाथ जोड़ कर कहने लगे कि हम एक सीरियस मरीज अस्पताल लिए जा रहे हैं हम को ले जाने दिया जाए मगर गाँव वालों ने एक न सुनी, कुछ नेता पहुंच गये और वह शासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कई घण्टों के बाद जब शासन के कुछ अधिकारी आए और उन्होंने विश्वास दिलाया कि मृतक के परिजनों को बदला दिलाया जाएगा और ट्रक वाले को जिसने यह हादिसा किया है उसको पकड़ा जाएगा और कठोर दण्ड दिया जाएगा। बड़ी मुश्किलों से गांव वाले राजी हुए, लाश ले गए और रास्ता खुला। किया किसने और भुगता कौन? इस पर कौन ध्यान देगा?

मार्च के आरम्भ में कानपुर अस्पताल में एक विधायक और एक जूनियर डाक्टर में कुछ लड़ाई हो गई, बस क्या था सारे जूनियर डॉक्टर दौड़ पड़े, पुलिस भी हरकत में आई कुछ पकड़े गए फिर तो सारे जूनियर डाक्टरों ने हड़ताल की घोषणा कर दी और देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बेचारे मरीज हाथ जोड़—जोड़ कर कहते रहे, डाक्टर साहब! हमारा क्या कुसूर हमको दवा क्यों नहीं देते? मगर डाक्टरों का दिल पत्थर हो चुका था उनको जरा भी तरस न आया और पचासों मरीज मौत के घाट उतर गए। आखिर इस देश में नैतिकता की शिक्षा किसके लिए है? अल्लाह का शुक्र है हमारे दीनी इदारों में, और इस्लाम पर चलने वाले मुसलमानों में यह बे रहमी ढूँढे न मिलेगी। ❑❑

संभावित मतभेदों में एक उम्मत रहिये

हज़रत मौ0 सै0 मुहम्मद राबे हसनी नदवी

(उम्मत से तात्पर्य हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अनुयायी हैं)

कुर्आन व हदीस समझने वाले उलमा (विद्वानों) और उनसे निकलने वाले आदेशों के जानकारों (फुकहा) ने स्पष्ट किया है कि तमाम फिकही मसलक वाले हक़ पर हैं चाहे हनफी हों या मालिकी, शाफई हों या हंबली, हंबली मसलक से निकलने वाले सलफी (अहले हदीस) सबके सब अहले सुन्नत वल जमाअत (सुन्नी) हैं। परन्तु बड़े खेद की बात है कि आजकल इन तमाम सही मसलक वालों में पक्षपात इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को पथभ्रष्ट (बेराह) बताने लगे हैं। यह सिथित बड़ी ही खतरनाक (आशंका पूर्ण) है इन सभी मसलकों के मतभेद फुरूई (अमौलिक) बातों में हैं अतः कोई मसलक वाला अपने को मुसलमान समझने और दूसरे मसलक वाले को इस्लाम से निष्कासित जाने तो यह बहुत बड़ी ग़लती है। यह भी देखा गया है कि एक मसलक वाला दूसरे मसलक वाले के पीछे नमाज़ तक नहीं पढ़ता इस टकराव से उम्मत की ऐकता भंग हो रही है जबकि कुर्आन में आया है कि निःसंदेह यह तुम्हारी उम्मत एक उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ अतः मेरी इबादत करो (अंबिया–92) एवं कुर्आन व हदीस में मसलकी झगड़ों से रोका गया है इसलिए कि कुर्आन व हदीस में इन उक्त सभी मसलकों की गुंजाइश है। कुछ फुरूई बातों में मतभेद सहाबा के काल में भी पाया जाता था, परन्तु सब एक उम्मत थे।

कुर्आन मजीद में आया है "हम अल्लाह के रसूलों में अंतर नहीं करते" (अलबकरहः 285) अर्थात हम उन सबको एक मार्ग पर मानते हैं यद्यपि उनकी शरीअ़तें (विधान) विभिन्न हैं इसी प्रकार अहले सुन्नत के मसलक विभिन्न हैं परन्तु वह एक उम्मत हैं। मुसलमानों को आपस में भाई भाई बन कर रहने का आदेश दिया गया है, दो भाइयों में छोटी छोटी बातों में मतभेद अवश्य होता है परन्तु वह भाई–भाई ही रहते हैं।

कुर्आन व हदीस में ईमान व इख़्लास (केवल अल्लाह को राजी रखने के गुण) के साथ तहक़ीक़ (अनुसंधान) करने वालों का इजतिहाद (प्राप्त परिणाम) को हक़ के मुताबिक स्वीकार किया जायेगा और मुजतहिद (शास्त्र वेत्ता) का आदर, सम्मान किया जाएगा चाहे वास्तविकता की दृष्टि से उससे त्रुटि (ग़लती) हुई हो जिसको इजतिहादी ग़लती कहते हैं हमारे पूर्वजों (असलाफ) ने इसकी पूरी पाबन्दी की है इसके बहुत से उदाहरण मिलते हैं। जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह0 फरमाते हैं "मुझे इससे खुशी न होती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के असहाब (साथियों) में कोई इख़्तिलाफ (मतभेद) नहीं रहा इसलिए कि अगर वह किसी अम्र (बात)

में मुत्तफिक़ हो जाते फिर एक शख्स आता और सहाबा के कौल (कथन) की खिलाफ वरजी (विरोध) करता तो वह गुमराह (पथ भ्रष्ट) हो जाता लेकिन जब सहाबा में इख्तिलाफ (मतभेद) रहा है, एक आदमी एक क़ौल अपनाता है दूसरा दूसरे क़ौल को अपनाता है इस (मतभेद) में बड़ी गुंजाइश है'' (इत्तिहाद बैनलमुस्लिमीन पे0 40)

इसी आधार पर शाफ़ई विद्वानों ने कहा है कि अम्र बिल मारूफ़ व नहीं अ़निल मुन्कर (भले कामों के आदेश और बुरे कामों पर रोक) के सिलसिले में ''इजतिहादी मसाइल (अमौलिक बातों) में आपत्ति बल से न की जाएगी न किसी को यह अधिकार होगा इन अमौलिक बातों में (नियमों में) किसी को अपने अनुकरण पर विवश करे, अलबत्ता इन मसाइल में वैज्ञानिक तर्कों के पास बात करेगा और दो बातों में जो बात इस तर्क से स्पष्ट हो जोयेगी उसे अपनायेगा और दूसरे मत को कोई अपनाये तो उस पर आपत्ति न करेगा''। (पहले का हवाला)

इमाम इब्ने तैमिया ने भी अपने फतावा में इस का विस्तार से उल्लेख किया है। तथा अपने पूर्वजों में मतभेद के अवसर पर जम कर बात करने के साथ परस्पर प्रेम भाव से मिलकर रहने के बहुत से उदाहरण मिलते हैं इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हंबल और दूसरे मसलक़ के इमामों के हालात में इसकी मिसालें मिलती हैं जरूरत यह है कि यह नियम बाक़ी रखा जाये वरना हर मजबह (मत) वाला अपने को हक पर समझेगा और दूसरे को पथ भ्रष्ट बतायेगा इस प्रकार इस्लाम एक छोटे से मसलक में सीमित हो कर रह जायेगा जो किसी तरह अंतिम नबी की उ़म्मत के लिए, जो क़यामत तक बाक़ी रहेगी उचित नहीं है। दीन की मौलिक बातों पर सहमत होने के साथ फुरूई (अमौलिक़) तथा अधिक पुण्य पाने वाले कामों में मतभेद को आपस की दुश्मनी का सबब नहीं बनाना चालिए इस बात को सारे मुहक्किक़ीन (विशेषज्ञ) और हमारे विद्वानों ने माना और अपनाया है। कुर्आन मजीद में आया है कि ''अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो और गुटों में न बट जाओ'' (आले इम्रानः103)

यह बात याद रखना चाहिए कि कुर्आन व हदीस के जानकारों में जो अमौलिक बातों में मतभेद होता है वह अपनी अपनी समझ के अनुसार संभावित होता है, मौलिक बातों में मतभेद नहीं होता इसलिए कि जब यह बता दिया गया कि ''दीन को मुकम्मल कर दिया गया है'' (अल माइदाः 3) तो यह कैसे संभव है कि एक मौलिक आदेश दूसरे मौलिक आदेश से टकराये। यह टकराना अमौलिक बातों में केवल अपनी अपनी समझ का होता है और उस मतभेद के अनुसार उस पर अपनी समझ के मुताबिकि अपनाने की गुंजाइश रखी गई है। कुर्आन मजीद में आया है ''हमने कुर्आन को आसान बना दिया है नसीहत हासिल करने के लिए'' (अल क़मर : 17) यह आसानी दीन पर चलने में आसानी पैदा करने की बाबत भी है। अतः हमको अपनी अपनी समझ के मतभेद को

झगड़े का कारण नहीं बनाना चाहिए अल्लाह की रस्सी को पकड़ने में कोई दाएं से पकड़ेगा कोई बाएं से, रस्सी पकड़ने में अगल अगल विधियों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस विषय पर शैख़ अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा की अरबी किताब "रिसालतुल उल्फति बैनल मुस्लिमीन" का उर्दू अनुवाद द्वारा मौलाना अलाउद्दीन नदवी "इत्तिहाद बैनल मुसलेमीन" पढ़ने योग्य है।

(तामीरे हयात 25 फरवरी 2014 में छपे लेख का संक्षेप)

उसूल व फुरुअ की व्याख्या- इस्लाम में उसूल वह बातें कहलाती हैं जिनके बिना इस्लाम सिद्ध नहीं होता, हिन्दी में हम उनको मौलिक बातें कहते है, मौलिक बातों में कोई मतभेद नहीं होता जैसे, अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वाँच वक्त की नमाज़ फर्ज़ है, रमजान के रोजे फ़र्ज हैं, माल पर जकात फर्ज है, सामर्थ्य वाले पर हज फ़र्ज है, कुर्आन अल्लाह की किताब है, कियामत आएगी जहन्नम सत्य है, जन्नत सत्य है, फरिश्ते नूरानी मख्लूक़ (सृष्टि) हैं, अल्लाह ने अपने बन्दों के मार्गदर्शन के लिए बहुत से रसूल भेजे, उन पर कुछ किताबें उतरी, तक़दीर सत्य है, अच्छी हो या बुरी अल्लाह की ओर से है, आदि यह सब मौलिक बातें कहलाती हैं।

फुरुअ– इस्लाम में फुरुअ वह बातें कहलाती हैं जो मौलिक (उसूलों) बातों के अतिरिक्त होती हैं और उनमें एक से अधिक रूप संभव होते हैं उनको हिन्दी में अमौलिक बातें कहते हैं जैसे, नमाज़ में नीयत के पश्चात हाथ सीने पर या नाफ पर या नाफ के नीचे बाँधा जाए यह सभी रूप हदीसों में मिलते हैं, अतः नमाज़ में हाथ कहां बाँधा जाए यह अमौलिक बात हुई, इसी प्रकार, सूर–ए–फातिहा के पश्चात आमीन आवाज से कहें या चुपके से, तरावीह की नमाज़ में आठ रकअ़त हैं या बीस इस प्रकार की बातें फुरुअ़ (अमौलिक) कहलाती हैं।

❖❖❖

जगनायक.....

पनाह गुज़ीं हो गया था ताकि दुश्मन के किसी अगले हमले से बचने के लिए उसकी सरकोबी की जाये, इसी तरह "औतास" की तरफ भी जहां हवाज़िन का दूसरा गिरोह छुपा था, अबू आमिर अशअरी की रहनुमाई में मुसलमान मुजाहिदीन का एक दस्ता रवाना फरमाया। उस दस्ते ने हवाज़िन की उस फौजी टुकड़ी से जिहाद किया और शिकस्त दी। अलबत्ता ताएफ का मुहासिरा तवील होता चला गया। देर लगने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कुछ ज़रूरी इक़दामात करने के बाद मुहासिरा उठा लेना मुनासिब समझा और वापस तशरीफ ले आए। कई माह बाद कबील–ए–सक़ीफ़ के लोगों ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में आकर इस्लाम की इताअत कर ली और इस तरह इस पूरे इलाक़े में जो कोई खतरा हो सकता था, वह ख़त्म हो गया। ❑❑

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

भाजपा मुसलमानों से माफी मांगने को तैयार–

आगामी लोकसभा चुनाओं से ठीक पहले भाजपा ने मुसलमानों को रिझाने की कवायद शुरु कर दी है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पार्टी से कभी और कहीं कोई गलती या कमी हुई है तो वह उसके लिए माफी मांगने और सिर झुकाने के लिए तैयार है। राजनाथ सिंह ने यह बात 'नरेंद्र मोदी मिशन 272 प्लस–मुस्लिम की भूमिका' विषय पर आयोजित सम्मेलन में कही।

भाजपा का पी.एम.-

शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का कहना है कि बीजेपी के पीएम प्रत्याशी मोदी हिंदुत्व के लिए बड़ा खतरा हैं हमारे देश के लोगों को सोच समझकर आने वाले समय में फैसला करने की ज़रूरत है।

भाजपा मुसलमानों के खिलाफ नहीं– पार्टी अध्यक्ष ने साफ किया कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है। जिन गुजरात के दंगों को लेकर विरोधी दल शोर मचाते रहे हैं, उनमें अदालत ने क्लीन चिट दी है। अब यह कोई मुद्दा नहीं रहा। आप लोग भाजपा को एक मौक़ा दें और देखें कि किस तरह सारे भेदभाव से हट कर देश का विकास होता है। इस मौक़े पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि भाजपा कभी भी जाति, धर्म की राजनीति नहीं करती।

संघ पर सवाल-

इन दिनों एक अंग्रेज़ी पत्रिका में छपा लेख चर्चा में है, जो देश के कई हिस्सों में हुए बम विस्फोटों के आरोपी स्वामी असीमानंद के कई इंटरव्यू पर आधारित है। इस काफी लंबे लेख में जो बात सबसे जियादा विवादों में है, वह असीमानंद का एक बयान है, जिसके मुताबिक उनके काम की सरसंघ चालक मोहन भागवत को पूरी जानकारी थी और ये सब उन्हीं के समर्थन से हुए हैं। असीमानंद ने कहा है कि मोहन भागवत गुजरात के आदिवासी इलाके डांग में वनवासी कल्याण आश्रम में उनसे मिलने आए थे, जहां उन्होंने बम विस्फोट करने की योजना पर चर्चा की थी। तब मोहन भागवत ने यह कहा था कि उनका आशीर्वाद और समर्थन उनके साथ है।

❖❖❖

आपके प्रश्नों के उत्तर.....

वाले कर्ज के हुक्म में है और उस पर साल गुजरने पर ज़कात वाजिब हुआ करती है इसलिए हर साल ढ़ाई प्रतिशत अदा करनी होगी, अलबत्ता अगर वह साहिबे निसाब न हो तो जितनी रक़म जमा हुई है अगर वह निसाब के बराबर हो तो उस पर जकात वाजिब होगी जब कि उस रक़म पर एक साल गुजर गया हो। और अगर उस वक्त ज़कात अदा करने पर कादिर न हो तो जब रक़म मिल जाये तो उस वक्त अदा करे और बीते हुए तमाम वर्षों की ज़कात अदा करे। (बदाए उस्सनाये 2/88) अपनी जमा की हुई रकम से जो रक़म जियादा मिलेगी वह सूद है, उसको गरीबों मे बाँट देना चाहिए। ❑❑